हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

संख्या : 2/5/2013–4एफ. आर./1581.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

नियमों का लागूकरण तथा प्रभाव।

2. (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों चाहे वे किसी भी वर्ग के हों को लागू होंगे–

(i) जो सरकारी सेवा में प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व भर्ती हुए हैं तथा नियमित आधार पर काम कर रहे हैं;

(ii) जिनको पेंशन के लिए पूर्व सेवा का लाभ प्रथम जनवरी, 2006 को या के बाद सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा उनकी पश्चातवर्ती नियुक्ति पर अनुज्ञात किया गया है; तथा

(iii) सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य प्रवर्ग जिसको सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है कि ये नियम उनको लागू होंगे।

(2) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे:–

(i) सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जनवरी, 2006 से लागू नई परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन आते हैं;

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;

(iii) हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग में सीमित अवधि के लिए केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से, प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी;

(iv) सरकारी कर्मचारियों का कोई अन्य प्रवर्ग जिनको सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है कि ये नियम उनको लागू नहीं होंगे।

टिप्पण 1.– अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।

टिप्पण 2.– अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण 3.– यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

(3) इन नियमों की कोई भी बात इससे पूर्व, यथा सामान्य भविष्य निधि के अस्तित्व को समाप्त करने या कोई नई निधि गठित करने को प्रभावित करने के लिए नहीं समझी जाएगी।

नियमों में छूट।

3. जहां इन नियमों के संचालन से अंशदायी को असम्यक् कष्ट होता है या होने की संभावना है, वहां वित्त विभाग, इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अंशदायी के मामले को नियम (नियमों) में ढील देते हुए ऐसी नीति में इस तरीके निपटा सकता है, जो न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो।

व्याख्या। **4.** इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह/प्रश्न उठता है तो इसको हरियाणा वित्त विभाग को भेजा जाएगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

निरसन और व्यावृत्ति। **5.** हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियम, 2006, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं। इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी प्रावधान के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अध्याय–II

परिभाषाएं

परिभाषाएं।

6. जब तक सदंर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु इस अध्याय में अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19), पुनः प्रस्तुतीकरण के रुप में अनुबंध–1 पर, तथा हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अध्याय 2 में दिए गए हैं । तथापि, इन नियमों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द यहां व्यक्त अनुभूति में किए जाएंगेः–

(1) **''अग्रिम''** से अभिप्राय है, किसी अंशदाता को मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यथा नियत किस्तों में प्रत्यर्पणीय की जाने वाली अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि;

(2) **''परिवार''** से अभिप्राय है–

1(क) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पत्नियों सहित पत्नी या पत्नियां (जब कभी स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो);

1(ख) महिला सरकारी कर्मचारी की दशा में, न्यायिक रूप से पृथक पति; सहित पति; बशर्ते कि यदि वह अपने परिवार से अपने पति को निकालने के लिए अपनी इच्छा कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में नोटिस द्वारा अभिव्यक्त करती है, तो पति उन मामलों, जिनसे ये नियम संबंधित हैं, में तुरन्त कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक कर्मचारी उसके बाद कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा ऐसी इच्छा रद्द नहीं करती है;

1(ग) विधिक रूप से दत्तक बालक, विधवा/तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियों) सहित पुत्र तथा पुत्रियां;

1(घ) पूर्वमृत पुत्र की विधवा (विधवाएं) बशर्ते पुनः शादी न की हो, अन्यथा पूर्वमृत पुत्र के बालकों का समान हिस्सा;

2(क) उपरोक्त (1) के अभाव में 18 वर्ष की आयु के नीचे के भाई (भाइयों) आश्रित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बहन (बहनें);

2(ख) उपरोक्त (1) तथा 2(क) के अभाव में वैयक्तिक मामले में दत्तक/सौतेली माता सहित माता जिसे स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

2(ग) उपरोक्त (1) तथा 2(क) तथा (ख) के अभाव में वैयक्तिक मामले में दत्तक/सौतेले पिता सहित पिता जिसे स्वीय विधि दत्तक के लिए अनुमति देती है;

3. उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में व्यस्क भाई तथा बहन।

टिप्पण 1.– इस नियम के प्रयोजन के लिए, ''पत्नी'' से अभिप्राय है, मृतक सरकारी कर्मचारी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी।

टिप्पण 2.– पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा तलाक विधिक तलाक नहीं होगा।

टिप्पण 3.– अपने माता–पिता के साथ रह रहे तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित सरकारी कर्मचारी के हिन्दू विधि या स्वीय विधि के अधीन विधिक रूप से दत्तक बालकों सहित पुत्र/पुत्री, परन्तु सौतेला बच्चा शामिल नहीं है।

(3) **''अन्तिम भुगतान''** से अभिप्राय है, सेवानिवृत्ति पर, सेवा में मृत्यु होने या गायब होने पर, सेवा छोड़ते समय अंशदायी के खाते में जमा संचयनों के अन्तिम भुगतान के रूप में अंशदायी को अन्तिम रूप से भुगतानयोग्य राशि;

(4) **''निधि''** से अभिप्राय है, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि;

(5) **''सामान्य भविष्य निधि''** से अभिप्राय है, निधि जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी के अंशदान प्राप्त किए जाते हैं तथा उसके व्यक्तिगत खाते में रखे जाते हैं। इसमें निधि के नियमों के अधीन अनुज्ञेय ऐसे अंशदानों पर ब्याज शामिल है;

(6) **''सामान्य भविष्य निधि लेखा''** से अभिप्राय है, किसी अंशदायी का सामान्य भविष्य निधि लेखा जिसमें अंशदान प्राप्त किए जाते हैं तथा उसके व्यक्तिगत लेखे में रखे जाते हैं;

(7) **''विभागाध्यक्ष''** इसमें निम्नलिखित अधिकारी, जो उनके नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, शामिल हैंः–

1. मण्डल (मण्डलों) के आयुक्त (आयुक्तों)
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायाधीशों)
3. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (रेंज/रेलवे)
4. वन संरक्षक
5. लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (अभियन्ताओं)
6. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (अधिकारियों)/जिला प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी (अधिकारियों)
7. सरकारी महाविद्यालय (महाविद्यालयों) के प्रधानाचार्य (प्रधानाचार्यों)
8. सिविल विभागों के उपमण्डल में उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
9. जिले के मुख्यालयों पर नगराधीश

(8) अग्रिम तथा प्रत्याहरण हेतु किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में **"पारिवारिक सदस्यों"** में शामिल हैं–

(i) सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही/रहा है या नहीं रह रही/रहा है किन्तु इसमें सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से पृथक पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, शामिल नहीं है;

(ii) सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित किन्तु इसमें कोई बालक या सौतेला बालक शामिल नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी पर किसी भी रूप में आश्रित नहीं है या उसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को किसी विधि द्वारा या के अधीन वंचित रखा गया है;

(iii) संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे सरकारी कर्मचारी के वंश या शादी से हो या सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो;

(9) **"अंशदाता"** से अभिप्राय है, निधि का सदस्य;

(10) **"प्रत्याहरण"** से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वापस नहीं किए जाने वाले अग्रिम के रूप में किसी अंशदाता को स्वीकृत राशि।

अध्याय–III

सामान्य

निधि का गठन।

7. (1) निधि भारत में रुपयों में रखी जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में से भुगतान की गई सभी धन राशियां सरकार की पुस्तकों में "हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि" नामक लेखे में जमा की जाएगी। धन राशियां जिनका भुगतान इन नियमों के अधीन उनके भुगतानयोग्य होने के बाद छः मास के भीतर नहीं लिया गया है, तो उनको वित्त वर्ष के अंत में **"8443–सिविल निक्षेप–124–सामान्य भविष्य निधि में अदावाकृत निक्षेप"** में स्थानांतरित किया जाएगा तथा उनको निक्षेपों से संबधित सामान्य नियमों के अधीन समझा जाएगा।

अंशदायी बनने के लिए पात्रता।

8. सभी सरकारी कर्मचारी, जिनको ये नियम लागू हैं, वे इस निधि के अंशदायी बनने के लिए पात्र हैं। प्रयोजन के लिए वे कार्यग्रहण करने के तुरन्त बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा के कार्यालय से सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या प्राप्त करेंगे। अंशदान मास जिसमें सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आबंटित की गई है तथा कार्यालय में प्राप्त हो गई है, अगले मास के वेतन बिल से प्रारम्भ होगा।

सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन।

9. (1) सभी सरकारी कर्मचारी जिनको ये नियम लागू हैं वे हरियाणा सरकार के किसी विभाग में सेवा ग्रहण करने के बाद प्ररुप पी.एफ. संख्या 1 में सामान्य भविष्य निधि की स्वीकृति तथा प्ररुप पी. एफ. संख्या 2 में नामांकन सहित दोनों तीन प्रतियों में उसके कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो उनको नामांकन प्ररुप के साथ दो प्रतियों में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आबंटन के लिए तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए नामांकन को स्वीकार करने के लिए भेजेगा।

(2) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा सामान्य भविष्य निधि संख्या आबंटित करेगा तथा कार्यालयाध्यक्ष को सम्यक् रुप से स्वीकृत नामांकन प्ररुप के साथ उस पर सामान्य भविष्य निधि संख्या दर्शाते हुए आवेदन प्ररुप की द्वितीय प्रति भी वापस करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष, सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या की प्राप्ति पर सेवा पुस्तिका में नामांकन की विषय–वस्तु की आवश्यक प्रविष्टि के साथ कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर उसे अभिलिखित करेगा।

पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर निधि के अतिशेष का अन्तरण।

10. (1) **अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में.–**

जहां प्रथम जनवरी, 2006 को या के बाद किसी अन्य सरकार के अधीन किसी विभाग या बोर्ड/निगम से हरियाणा सरकार के बोर्ड/निगम या विभाग में सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, पूर्व विभाग या बोर्ड/निगम में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में पहले से जमा राशि नये सामान्य भविष्य निधि लेखे में अन्तरित किए जाने के लिए होगी यदि पूर्व अर्हक सेवा का लाभ नये विभाग या बोर्ड/निगम, जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन में अनुज्ञात किया गया है।

(2) **हरियाणा सरकार के अधीन एक विभाग या बोर्ड/निगम से दूसरे विभाग या बोर्ड/निगम में–**

(क) हरियाणा सरकार के अंशदायी एक विभाग से दूसरे विभाग में सीधी भर्ती या अन्यथा पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, अंशदायी उसको पहले से ही आबंटित उसी सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान जारी रखेगा।

(ख) हरियाणा सरकार के अधीन बोर्ड/निगम से किसी विभाग या विपर्ययेन में पूर्व बोर्ड/निगम में सम्बद्ध कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में पहले से जमा राशि उसके नये सामान्य भविष्य निधि लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी।

टिप्पण 1.– अन्य सरकार के पूर्व विभाग या किसी सरकार के बोर्ड/निगम में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में पहले से जमा राशि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी या पूर्व विभाग या बोर्ड/निगम के नियोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा के पक्ष में मांग ड्राफ्ट या खजाना चालान के माध्यम से हरियाणा की लोक लेखा में जमा करवाई जाएगी।

टिप्पण 2.–यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पूर्व अर्हक सेवा का लाभ किसी सरकार के अधीन नए विभाग या बोर्ड/निगम में पेंशन में अनुज्ञात नहीं किया

गया है, तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में जमा राशि सम्बद्व कर्मचारी को भुगतान की जाएगी।

भविष्य निधि लेखे का रखरखाव।

11. (1) इन नियमों के अधीन निधि में से भुगतान की गई सभी धन–राशियां राज्य सरकार की पुस्तकों में मुख्य–शीर्ष "8009–राज्य भविष्य निधि" के लेखे में जमा की जाएंगी। धन–राशियांजिनका भुगतान इन नियमों के अधीन उनके भुगतानयोग्य होने के बाद छः मास के भीतरनहीं लिया गया है, तो उनका वित्त वर्ष के अन्त में ''8443–सिविल निक्षेप–124–सामान्य भविष्य निधि में अदावाकृत निक्षेप" में अन्तरित किया जाएगा तथा उनको निक्षेपों से सम्बन्धितसामान्य नियमों के अधीन समझा जाएगा।

(2) भारत में जब भी अंशदान, चाहे वेतन बिल में कटौती या नकद द्वारा, जमा करवाने पर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा पहले से ही संसूचित अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का वर्णन किया जाएगा।

(3) अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में कोई परिर्वतन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा कार्यालयाध्यक्ष तथा अंशदायी दोनों को संसूचित किया जाएगा।

वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणी जारी करना।

12. (1) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा अपनी बेवसाइट अर्थात् www.aghry.gov.in पर निम्नलिखित दर्शाते हुए प्रत्येक अंशदायी की पूर्व वर्ष की सामान्य भविष्य निधि लेखे की विवरणी अपलोड करेगा;

(क) प्रथम अप्रैल को आरंभिक अतिशेष;

(ख) वर्ष के दौरान कुल जमा और निकाली गई राशि;

(ग) 31 मार्च को ब्याज की कुल जमा राशि; तथा

(घ) 31 मार्च को अन्तिम अतिशेष;

या भारत नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित प्ररुप में।

(2) अंशदायी द्वारा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा की बेवसाइट से इलैक्ट्रानिक विवरणी को डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक अंशदायी द्वारा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा की बेवसाइट तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) हरियाणा से ऑन लाइन पिन/पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अंशदायी स्वयं को वार्षिक विवरणी के सहीपन तथा गलतियों के बारे में, यदि कोई हो, संतुष्ट करेगा तथा उसको तीन मास के अन्दर–अन्दर प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) हरियाणा तथा अपने कार्यालयाध्यक्ष के ध्यान में लाएगा।

अंशदायी का सामान्य भविष्य निधि लेखा।

13. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा की पुस्तकों में प्रत्येक अंशदायी के नाम से लेखा खोला/अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा–

(i) आरम्भिक अतिशेष ;

(ii) मासिक अंशदान राशि ;

(iii) नियम 27 द्वारा यथा उपबंधित अंशदान पर ब्याज, यदि कोई हो ;

(iv) निधि से अग्रिम तथा प्रत्याहरण, यदि कोई हो ;

(v) अग्रिमों की वसूलियां, यदि कोई हो ;

(vi) अन्तिम अतिशेष।

अध्याय–IV

नामांकन तथा नामांकित को भुगतान

राशि को प्राप्त करने के अधिकार के लिए नामांकन।

14. (1) अंशदायी, निधि का सदस्य बनते समय, प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) हरियाणा को कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्ररुप पी.एफ. संख्या 2 (तिहरी प्रति) में एक या अधिक व्यक्तियों को उसकी मृत्यु की दशा में निधि की भुगतानयोग्य राशि प्राप्त करने के अधिकार के लिए नामांकन भेजेगा; परन्तु यदि नामांकन करते समय अंशदायी का परिवार है, तो उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों) से भिन्न किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के पक्ष में नामांकन नहीं करेगाः

परन्तु मुसलमान अंशदायी द्वारा उसके दत्तक बालक के पक्ष में किया गया नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण मान्यता प्राप्त नहीं है।

(2) यदि कोई अंशदायी उप–नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नामांकित करता है तो वह नामांकन में प्रत्येक नामित का भुगतानयोग्य हिस्सा ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करेगा ताकि सम्पूर्ण राशि जो कि अंशदायी की मृत्यु की दशा में भुगतानयोग्य हो सकती है, प्राप्त कर सके।

नामांकन का रद्द करना तथा पुनरीक्षण।

15. (1) अंशदायी उपरोक्त नियम 14 में अधिकथित शर्तों के दृष्टिगत कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को लिखित नोटिस भेजकर, किसी भी समय नामांकन रद्द या पुनरीक्षित कर सकता है। अंशदायी ऐसे नोटिस सहित या अलग से इस नियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नया नामांकन भेजेगा। यदि अंशदायी नया नामांकन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके निधन के फलस्वरुप सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाती है तो राशि का भुगतान निधि के नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा मानो कोई वैध नामांकन अस्तित्व में नहीं है।

(2) किसी नामित व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद, जिसके सम्बन्ध में नामांकन में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो या किसी दूसरे कारण जिसकी वजह से नियम 17 के अनुसरण में नामांकन रद्द हो जाता है तो अंशदायी अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को इस नियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए नये नामांकन के साथ पूर्व नामांकन रद्द करते हुए लिखित नोटिस भेजेगा।

टिप्पण.– सेवा के दौरान किया गया नामांकन सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनरीक्षित किया जा सकता है, जब तक उसके द्वारा अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

नामांकित की मृत्यु होने की दशा में अन्य सदस्य (सदस्यों) का विशिष्ट नामांकन।

16. अंशदायी किसी विशिष्ट नामांकित के सम्बन्ध में नामांकन में यह व्यवस्था कर सकता है कि नामांकित की मृत्यु की दशा में, उस नामांकित को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को चले जांएगे जो नामांकन में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, बशर्ते यदि अंशदायी का अपना परिवार है तो परिवार का सदस्य ही अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) होगा।

घटनाएं जब नामांकन अवैध हो जाएगा।

17. नांमाकन में विनिर्दिष्ट आकस्मिकताएं घटित होने की दशा में नामांकन अवैध हो जाएगा बशर्ते यदि नामांकन करते समय अंशदायी के पास –

(i) कोई परिवार नहीं हैं; या

(ii) परिवार में केवल एक सदस्य है,

तो वह नामांकन में यह प्रावधान करेगा कि नियम 16 के अधीन दूसरे नामांकित को प्रदत्त अधिकार बाद में उसके परिवार या उसके परिवार में अन्य सदस्य (सदस्यों), जैसी भी स्थिति हो, के आने की दशा में अवैध हो जाएगा।

नामांकन के प्रभाव की तिथि।

18. अंशदायी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दिए गए रद्दकरण के प्रत्येक नोटिस का प्रभाव उसके कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त होने की तिथि से होगा जो इसकी वैधता तक रहेगा।

नामांकित के विरुद्व आपराधिक कार्यवाही।

19. अंशदायी की हत्या करने के आरोप में मुकद्दमा भुगत रहे नामांकित को न्यायालय का निर्णय होने तक भुगतान से वंचित रखा जा सकता है। यदि आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर, सम्बद्व व्यक्ति अंशदायी की हत्या करने या हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो उसका हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। यदि नामांकित को अंशदायी की हत्या करने या हत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी ठहराया जाता है तो उसे उसके हिस्से को प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा जो दूसरे नामांकित या परिवार के पात्र सदस्यों को या अंशदायी के विधिक वारिस (वारिसों) को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार भुगतानयोग्य होगा।

नामांकन से भिन्न व्यक्ति को भुगतान।

20. नामांकन के अनुसार निधि धन–राशि का भुगतान करना सरकार के लिए विधिमान्य उन्मोचन है किन्तु नामांकित (नामांकितों) को भुगतान होने से पहले यदि कोई विधि न्यायालय डिक्री कर देता है कि भुगतान नामांकित (नामांकितों) से भिन्न व्यक्तियों को किया जाए, तो न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र पर व्यक्ति को भुगतान।

21. यदि अंशदायी का निधन हो जाता है और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और कोई वैध नामांकन नहीं है, तब दावेदार को विधि न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–V

सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान

अंशदान की दर।

22. अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अंशदायी द्वारा स्वयं प्रत्येक वित्त वर्ष नियत की जाएगी तथा कार्यालयाध्यक्ष को सूचित की जाएगी–

(क) प्रथम अप्रैल या निधि में शामिल होने की तिथि जो भी बाद मे हो पर न्यूनतम अंशदान, मूल वेतन का 8%होगा।

(ख) अधिकतम अंशदान अंशदायी के मूल वेतन तक होगा।

टिप्पण.– इन नियमों में विहित अधिकतम अंशदान की सीमा से ज्यादा की राशि निधि में जमा करवाने पर, उस पर कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा।

सेवा में, ड्यूटी, छुट्टी, निलंबन, विदेशी सेवा या स्थानांतरण के दौरान अंशदान।

23. (1) निलंबन अवधि को छोडकर, अंशदायी निधि में मासिक अंशदान करेगा; परन्तु अंशदायी के पूरे वेतन तथा भत्तों के साथ बहाल होने पर उससे अंशदान के बकायों का अपने वेतन तथा भत्तों के बकायों से एक किस्त में भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) अंशदायी, अपनी मर्जी से, अपनी छुट्टी के समय जब उसको केवल अवकाश वेतन मिलता है जो पूरे वेतन से कम है, अंशदान नहीं देने को चुन सकता है। समय पर अपने आशय के बारे में कार्यालयाध्यक्ष को सूचित न करने पर यह माना जाएगा कि उसने अंशदान देने का चुनाव किया है। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(3) जब कोई अंशदायी भारत में या बाहर विदेश सेवा में अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया गया है, तो वह निधि के नियमों के अध्यधीन उसी रीति में बना रहेगा, मानो वह इस प्रकार विदेश सेवा में या प्रति–नियुक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया गया था।

(4) हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर, अंशदायी उसी सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान को जारी रखेगा।

अंशदान की दर में परिवर्तन।

24. इस प्रकार नियत अंशदान की राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान मूल वेतन में बढ़ौतरी या कटौती के कारण परिवर्तित नहीं की जाएगी, तथापि, अंशदायी को–

(क) वित्त वर्ष के दौरान किसी समय अंशदान केवल एक बार घटाने की स्वतन्त्रता होगी;

(ख) विहित सीमा तक वित्त वर्ष के दौरान दो बार अंशदान को बढ़ाने की स्वतन्त्रता होगी;

सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर रोक।

25. (1) निधि में अंशदान अधिवार्षिता पर सेवानिवृति से छः मास पहले बंद कर दिया जाएगा।

(2) उस मास के दौरान कोई भी अंशदान नहीं किया जाएगा यदि अंशदायी–

(i) मास के कुछ भाग के लिए सेवा पर है तथा उसी मास की शेष अवधि के लिए असाधारण अवकाश पर है; या

(ii) सेवा के दौरान मर जाता है तो उसकी मृत्यु के मास के लिए।

टिप्पण.– अंशदान तथा वसूलियां, यदि अधिवार्षिता से पूर्व पिछले छः मास के दौरान काटी गई थी, तो उन्हें अप्राधिकृत अंशदान के रुप में समझा जाएगा तथा उन अंशदानों/वसूलियों पर कोई भी ब्याज अनुज्ञात नहीं होगा। कुछ स्थानान्तरण मामलों में उसी मास के लिए दोनों आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा दो जमा (क्रेडिट) की कटौती की जा रही है, जिसके परिणामस्वरुप एक वर्ष में बारह जमा (क्रेडिटों) से अधिक हो जाते हैं। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जमा अप्राधिकृत के रुप में समझा जाएगा और इस पर कोई ब्याज अनुज्ञात नहीं होगा। यदि सामान्य भविष्य निधि में किसी भी कारण से कोई भी अंशदान नहीं किया गया है, तो आहरण तथा संवितरण अधिकारी/अंशदायी प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी) को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि रह गए जमा (क्रेडिट) के लिए अनावश्यक पत्राचार न किया जा सके।

अंशदान की वसूली।

26. अंशदान की वसूली अंशदायी के वेतन बिल से की जाएगी जब उसका वेतन भारत में सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। यदि अंशदायी विदेशी सेवा में है, तो उसके अंशदान की राशि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को उसके विदेशी नियोजक द्वारा मांग–ड्राफ्ट या खजाना चालान द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय–VI

सामान्य भविष्य निधि लेखा की राशि पर ब्याज

ब्याज की दर तथा सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की गणना।

27. (1) अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में संचित अतिशेष पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित दर पर ब्याज दिया जाएगा। यह प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा कर दिया जाएगा। मासिक अतिशेष जिस पर ब्याज भुगतानयोग्य है, निम्नलिखित रीति में निकाला जाएगाः–

प्रत्येक मास के आरंभ में आरम्भिक अतिशेष राशि जमा अंशदान तथा उस मास की 10वीं तिथि तक कोई अन्य जमा राशि जिसमें से मास के दौरान अंशदायी द्वारा कोई अग्रिम प्रत्याहरण को घटाकर।

(2) ब्याज अंशदायी के लेखे में जमा नहीं किया जाएगा, यदि वह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से यह सूचित करता है कि वह ब्याज प्राप्त करना नहीं चाहता है, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज के लिए मांग करता है, तो यह उस वित्त वर्ष जिसमें वह उसकी मांग करता है के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा।

टिप्पण 1.– ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपयों में होगी, पचास पैसे या उससे अधिक अगले उच्च रुपये के रुप में गिने जाएंगे।

टिप्पण 2.– 1966–67 से समय–समय पर लागू ब्याज की दर की सूची इन नियमों के अनुबंध–2 में भी उपलब्ध है।

उदाहरण के तौर पर ब्याज की गणना की व्याख्या निम्नानुसार हैः–

1	01.04.2014 को आरम्भिक अतिशेष	2,25,980/–रुपये
2	मासिक अंशदान	3,000/–रुपये प्रति मास
3	06.06.2014 को मंहगाई भत्तों का बकाया जमा किया गया	2,214/–रुपये
4	28.11.2014 को भुगतान किया गया पुत्री की सगाई समारोह के लिए अग्रिम (1000/–रुपये प्रतिमास की दर से 25 किस्तों में वसूला जाना है)	25,000/–रुपये
5	दिसम्बर, 2014 के वेतन से अग्रिम की वसूली	1,000/–रुपये प्रति मास
6	01.02.2015 को मंहगाई भत्तों का बकाया जमा किया गया	3,035/–रुपये
7	04.03.2015 को पुत्र की उच्चतर शिक्षा हेतु प्रत्याहरण	30,000/–रुपये
8	वित्त वर्ष 2014–2015 के दौरान ब्याज की दर	8.70% प्रति वर्ष

मास	प्रत्येक मास शुरु होने पर आरम्भिक अतिशेष	मासिक अंशदान जमा कोई अन्य अंशदान यदि मास की 10वीं तिथि तक किया गया है	मास के दौरान प्रत्याहरण/अग्रिम, यदि कोई हो,	अन्त अतिशेष
अप्रैल-14	2,25,980	3,000	0	2,28,980
मई-14	2,28,980	3,000	0	2,31,980
जून-14	2,31,980	3,000+2,214	0	2,37,194
जुलाई-14	2,37,194	3,000	0	2,40,194
अगस्त-14	2,40,194	3,000	0	2,43,194
सितम्बर-14	2,43,194	3,000	0	2,46,194
अक्तूबर-14	2,46,194	3,000	0	2,49,194
नवम्बर-14	2,49,194	3,000	-25,000	2,27,194
दिसम्बर-14	2,27,194	3,000	0	2,30,194
जनवरी-15	2,30,194	3,000+1,000	0	2,34,194
फरवरी-15	2,34,194	3,000+1,000+3,035	0	2,41,229
मार्च-15	2,41,229	3,000+1,000	-30,000	2,15,229
				28,24,970

वित्त वर्ष के अंत में अनुज्ञेय ब्याज–

28,24,970 x 8.70% x 1/12 = 20,481.03 अर्थात 20,481/- रुपये।

टिप्पण.– जब किसी अंशदायी के नाम जमा राशि भुगतानयोग्य है तो उस पर ब्याज केवल चालू वर्ष की प्रारंभ अवधि से या जमा करने की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, अंशदायी के लेखे में जमा राशि भुगतानयोग्य होने की तिथि तक जमा किया जाएगा।

ब्याज के प्रयोजन के लिए जमा की तिथि।

28. वेतन से वसूली की दशा में, जमा की तिथि मास जिसमें यह वसूली की गई है के प्रथम दिन में समझी जाएगी तथा अंशदायी/आदाता एजेंसी द्वारा भेजी गई राशि की दशा में प्राप्ति के मास के प्रथम दिन के रुप में समझी जाएगी, यदि खजाने में इसको जमा या प्रधान महालेखाकार द्वारा उस मास की 10वीं तिथि तक प्राप्त कर लिया जाता है, किन्तु यदि यह उस मास की 10वीं तिथि के बाद प्राप्त की गई है, तब अगले मास के प्रथम दिन के रुप में समझी जाएगीः

परन्तु जहां पर वेतन का भुगतान मास के अन्तिम कार्य दिवस को होता है, वहां पर जमा की तिथि अगले मास की प्रथम तिथि समझी जाएगीः

परन्तु यह और कि जब सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान का कोई बकाया भुगतान जैसे वेतन तथा भत्तों, मंहगाई भत्ता, अवकाश वेतन के बकाया की जमा तिथि मास के प्रथम दिन के रुप में समझी जाएगी, यदि ऐसे बकाया के भुगतान को मास की 10वीं तिथि तक जमा किया जाता है।

टिप्पण 1.– किसी अंशदायी से पूरे वेतन तथा भत्तों सहित उसकी बहाली पर वसूले गए एकमुश्त अंशदान, व्यतीत की गई निलम्बनाधीन अवधि के बाद उस मास के अंशदान माने जाएंगे जिसमें यह राशि खजाने में जमा करवाई गई है।

टिप्पण 2.– किसी अंशदायी के बोर्ड/निगम में प्रतिनियुक्ति पर प्रधान महालेखाकार को भेजे गए अंशदान, जमा की तिथि मास के प्रथम दिन के रुप में समझी जाएगी यदि यह प्रधान महालेखाकार द्वारा उस मास के 10वें दिन से पूर्व प्राप्त की गई है।

अन्तिम भुगतान पर ब्याज।

29. (क) अन्तिम भुगतान पर ब्याज का भुगतान.–

(1) अंशदायी या पात्र परिवार के सदस्य/नामांकित को अंतिम भुगतान, आवेदन को पूर्ण रुप से प्रस्तुत करने की तिथि से दो मास के भीतर किया जाएगा।

(2) नियमों के अधीन अनुज्ञेय अंतिम भुगतान के समय यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा प्राधिकार मास के 15वें दिन तक जारी किया जाता है, तो शेष निधि पर ब्याज पिछले मास तक अनुज्ञेय होगा, यदि प्राधिकार मास के 15वें दिन के बाद जारी किया जाता है तो ब्याज उस महीने के लिए भी भुगतानयोग्य होगा बशर्ते ऐसा भुगतान अगले मास के पहले दिन या उसके बाद किया जाएगा।

(3) यदि विधि न्यायालय यह आदेश करता है कि अंशदायी को भुगतान की बिलम्ब अवधि के लिए ब्याज भुगतान किया जाए तथा यह आदेश निर्णायिक हो गया है या सक्षम विधिक प्राधिकारी द्वारा यह राय दी गई हो कि यह मामला अपील के योग्य नहीं है तो लिखित में कारण रिकार्ड करने के बाद अंशदायी को ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा तथा कार्रवाई, यदि कोई अपेक्षित हो, तो नियम 30 के उप नियम (1) तथा (2) के अनुसार ब्याज की आगे की देनदारी रोकने के लिए की जाएगी।

(4) सेवा से पदच्युत किया गया या हटाया गया कोई अंशदायी जिसकी अपील विभाग में उसकी पदच्युति/हटाए जाने के विरुद्व लंबित है तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे मे अतिशेष तब तक प्राधिकृत नहीं होगा जब तक उसकी अपील पर निर्णय की पुष्टि करने के अन्तिम आदेश पारित नहीं हो जाते या वह अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेता है, जो भी पहले हो। तथापि, मास जिसमें अंतिम भुगतान किया गया है के पिछले महीने तक ही ब्याज दिया जाएगा बशर्ते सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए उसकी अपील पर अंतिम आदेश जारी होने या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के बाद जो भी पहले हो, से एक मास के भीतर विहित प्ररुप में आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) सेवा छोड़ने पर अन्तिम भुगतान पर ब्याज.–

(1) सेवा छोड़ने की दशा में चाहे जो भी कारण हो, अंशदायी पिछले मास जिसमें अन्तिम भुगतान किया गया है तक अन्तिम भुगतान पर ब्याज के लिए हकदार है।

अंशदायी विहित अवधि के भीतर सामान्य भविष्य निधि लेखे की राशि के अंतिम भुगतान के लिए विहित प्ररुप में आवेदन करेगा, अर्थात्–

(i) सेवा छोड़ने की तिथि से एक मास के भीतर चाहे जो भी कारण हो; तथा

(ii) अधिवर्षिता सेवा निवृति की तिथि से छः मास पूर्व।

(ग) गायब या मृत अंशदायी के परिवार को अन्तिम भुगतान पर ब्याज.–

(1) किसी अंशदायी के सम्बन्ध में जो सेवा के दौरान गायब हो जाता है तो उसका परिवार/नामांकित उस से पिछले मास, जिसमें अन्तिम भुगतान किया गया है, तक ब्याज के लिए हकदार है/हैं। बशर्ते परिवार/नामांकित पुलिस विभाग से रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु विहित प्ररुप में आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेगें कि अंशदायी उन द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद ढूंढा नहीं गया है।

(2) अंशदायी की सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, परिवार/नामांकित उससे पिछले मास, जिसमें अन्तिम भुगतान किया गया है, तक ब्याज के लिए हकदार है/हैं। बशर्ते परिवार/नामांकित अंशदायी की मृत्यु की तिथि से एक मास के भीतर सामान्य भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिए विहित प्ररुप में आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(घ) यदि आवेदन समय पर नहीं किया जाता है तो विलम्ब अवधि के लिए कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा.–

(1) सामान्य भविष्य निधि लेखे की राशि के अन्तिम भुगतान के लिए अंशदायी या परिवार/नामांकित, जैसे भी स्थिति हो, सम्बद्व कार्यालयाध्यक्ष को सभी पहलुओं से पूर्ण निर्धारित प्ररुप में नियत समय के भीतर, आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की प्रस्तुतीकरण की बिलम्ब अवधि के लिए कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) सम्बद्व कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की तिथि प्रयोजन के लिए आवेदन की तिथि मानी जाएगी। आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने की दशा में, किसी मास के भाग का अर्थ इस प्रयोजन के लिए पूरे मास के रुप में लगाया जाएगा।

व्याख्याः–

सेवा छोड़ने की तिथि	आवेदन की अंतिम तिथि	आवेदन की तिथि	प्राधिकार की तिथि	आवेदन प्रस्तुतीकरण की विलम्ब अवधि
15/07/2014	14/08/2014	10/09/2014	14/10/2014	एक मास
31/07/2014	30/08/2014	05/09/2014	22/10/2014	एक मास
08/05/2014	07/06/2014	29/07/2014	12/09/2014	दो मास

विलम्बित अन्तिम भुगतान पर ब्याज को स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी।

30. (1) अन्तिम भुगतान के समय निधि में अतिशेष पर छः मास तक के ब्याज का भुगतान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए छः मास की अवधि ठीक अगले छः मास को निकालने के बाद अर्थात् यदि सेवा छोड़ने का दिन मई मास मे पडता है तो छः मास की अवधि जुलाई से दिसम्बर मानी जाएगी तथा न कि जून से नवम्बर।

(2) दो वर्ष की अवधि तक प्रशासकीय विभाग तथा किसी अवधि तक वित्त विभाग पूर्ण रुप से संतुष्ट होने के बाद कि अंतिम भुगतान में विलम्ब अंशदायी या ऐसे व्यक्ति जिसको ऐसा भुगतान किया जाना था के नियन्त्रण के बाहर परिस्थितियों के कारण हुआ छः मास से अधिक अवधि के लिए ब्याज का भुगतान स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे। प्रत्येक ऐसे मामले में, अर्न्तवलित प्रशासकीय विलम्ब की, ऐसे अधिकारी जो ग्रुप 'क' की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा पूर्णरुप से जांच की जाएगी तथा कार्रवाई, यदि कोई अपेक्षित हो, की जाएगी।

शास्ति ब्याज सहित अधिक ली गई राशि की वसूली।

31. (1) यदि किसी अंशदायी द्वारा निकासी की तिथि को उसके लेखे में जमा राशि की अधिकता में अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से कोई राशि ली गई पायी जाती है तो अधिक ली गई राशि अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम या प्रत्याहरण या अंतिम भुगतान के अनुक्रम में अधिक ली गई राशि को ध्यान में रखे बिना, जिम्मेदारी नियत की जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि अंशदान इत्यादि में अधिक राशि को प्रमाणित करते हुए गलती करने वाले अधिकारी/कर्मचारी (कर्मचारियों) के विरुद्व कार्यवाही की जाएगी। अधिक ली गई राशि की वसूली निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की जाएगीः–

(क) यदि अंशदायी सेवा में है तो यह एक–मुश्त राशि उस पर शास्ति ब्याज सहित वापिस की जाएगी तथा चूक में अंशदायी के वेतन बिल से एकमुश्त राशि में वसूली के लिए आदेश किए जाऐंगे। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि अंशदायी के वेतन से आधे से ज्यादा है तो वसूलियां उसके वेतन के एक तिहाई से अनधिक मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि वसूल नहीं हो जाती है।

(ख) यदि अंतिम भुगतान सेवा छोड़ने पर किया गया है तो शास्ति ब्याज सहित अधिक ली गई राशि अंशदायी के लम्बित देयों जैसे मृत्यु–एवं–सेवानिवृति उपदान, सरांशी पेंशन, अवकाश नकदी, अन्यथा मासिक पेंशन पर देय मंहगाई राहत से वसूली की जाएगी। यदि वह पेंशनर नहीं है तब वसूली यदि आवश्यक हो विधि न्यायालय, के माध्यम से की जाएगी।

(2) अधिक ली गई गई राशि पर प्रभारित किये जाने वाले शास्ति ब्याज की दर सुसंगत वर्ष (वर्षो) के लिए सामान्य भविष्य निधि पर अनुज्ञेय ब्याज की दर सामान्य दर से अधिक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की होगी। अधिक ली गई राशि पर वसूला गया ब्याज अलग उपशीर्ष "निधि से अधिक प्रत्याहरण पर ब्याज" के अधीन, शीर्ष "0049–राज्य सरकार को ब्याज प्राप्ति–800–अन्य प्राप्तियां" के अधीन राज्य लेखे में जमा करवाया जाएगा।

अध्याय–VII

सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम देना

सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम देने के विभिन्न प्रयोजन।

32. अंशदायी से नियम 33 में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रम संख्या (1) से (5) में वर्णित प्रयोजनों के लिए छः मास के वेतन के बराबर की राशि या उसके लेखे में जमा का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो तथा नीचे क्रम संख्या (6) में वर्णित प्रयोजनों के लिए छः मास का मूल वेतन या निधि में जमा का 50 प्रतिशत या मद (मदों) की वास्तविक लागत, जो भी कम हो अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा, अर्थात्:–

(1) अंशदायी तथा परिवार के सदस्य (सदस्यों) या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा खर्चों सहित बीमारी, प्रसूति या अशक्तता के सम्बन्ध में खर्चों के भुगतान के लिए;

(2) निम्नलिखित मामलों में अंशदायी तथा उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति, जहां आवश्यक हो, के यात्रा खर्चों सहित उच्चतर शिक्षा की लागत से पूरा करने के लियेः–

(क) भारत के बाहर उच्च स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी व्यवासायिक या व्यवासायिक कोर्सों के लिए शिक्षा हेतु।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या सरकार या संघ क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहेसंस्थाओं से किसी क्षेत्र जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, कृषि, आर्ट, गृह विज्ञान, वाणिज्य, बी.बी.ए./एम.बी.ए. इत्यादि में स्नातक स्तर या ऊपर के डिप्लोमा कोर्सों तथा डिग्री कोर्सों हेतु बशर्ते अध्ययन कोर्स उच्च स्कूल स्तर से ऊपर का है; तथा

(ग) व्यावसायिक कोर्स भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की प्रशासनिक या रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए, सरकार या किसी संस्थान द्वारा संचालित कोचिंग कोर्स में उपस्थित रहने के लिए;

(3) (क) सगाई, दाह संस्कार, जन्मदिन तथा विवाह वर्षगांठ या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रुप में आश्रित किसी व्यक्ति को अन्य समारोहों तथा समय–समय पर होने वाले धार्मिक समारोहों जैसे जागरण, अखंड पाठ, रामायण पाठ इत्यादि के सम्बन्ध में अनिवार्य खर्चों के लिए;

(ख) बालकों या किसी आश्रित सदस्य (सदस्यों) की शादी (जिसमें स्वयं की शादी शामिल है) किन्तु पुरुष की दशा में 21 साल तथा महिला बालकों या सदस्य (सदस्यों) की दशा में 18 साल की आयु प्राप्त करने से पूर्व न हो, का खर्च पूरा करने के लिए। अंशदायी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के आवेदन के समय आयु का आवश्यक सबूत उपलब्ध कराया जायेगा;

(4) अंशदायी, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रुप में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्व संस्थित की गई विधिक कार्रवाईयां की लागत को पूरा करने के लिए; परन्तु कोई भी अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा यदि विधिक कार्रवाईयां सरकार के विरुद्व किसी भी विधि न्यायालय में उस द्वारा संस्थित की गई हैं;

(5) अंशदायी को उसकी ओर से किसी शासकीय कदाचार के सम्बन्ध में किसी जांच में स्वयं का बचाव करने के लिए कोई विधिक व्यवसायी को अनुबन्धित करने की लागत को पूरा करने के लिए;

(6) सामान्य घरेलू वस्तुओं जैसे फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, एसी, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर, सोलर उर्जा उत्पादन सैट, इनवरटर्ज, लैपटाप, सैल फोन, फर्नीचर, इत्यादि खरीदने के लिए।

सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम प्राप्त करने की शर्तें।

33. अंशदायी अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से नियम 32 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अग्रिम राशि प्राप्त कर सकता हैः–

(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कोई अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए, अंशदायी को प्ररुप पी. एफ. संख्या 3 में अपना आवेदन कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा;

(2) नियम 32 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए एक समय में केवल एक ही अग्रिम अनुज्ञेय होगा;

(3) जहां प्रथम अग्रिम अनुज्ञेय सीमा तक नहीं लिया गया है, तो किन्ही प्रयोजनों के लिए द्वितीय अग्रिम अनुज्ञेय राशि और प्रथम अग्रिम के लिए स्वीकृत राशि के अन्तर के बराबर तक की राशि के लिए भी अनुज्ञेय होगा। अगला अग्रिम तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक पूर्व अग्रिम (अग्रिमों), यदि कोई हो, वसूल नहीं हो जाता है;

(4) समान प्रयोजन जिसके लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण प्राप्त किया गया है उसके लिए अगला अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा।

(5) नियम 32 में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों पर खर्च के बाद भी अग्रिम अनुज्ञेय होगा, यदि अंशदायी उसके लिए दो मास की युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवेदन करता है;

(6) निलम्बनाधीन या असाधारण अवकाश पर गये अंशदायी को भी अग्रिम अनुज्ञेय होगा। अग्रिम राशि की स्वीकार्यता निलंबन या असाधारण अवकाश, जैसी भी स्थिति हो, से ठीक पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर संगणित की जाएगी;

(7) प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा के दौरान भी अंशदायी को अग्रिम अनुज्ञेय होगा, जिसके लिए उसको अपने मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम के लिए सामान्य सिद्वान्त।

34. निधि की संरचना अंशदायी के परिवार को उसकी अचानक मृत्यु से एक मात्र संरक्षण के लिए या यदि वह अपनी सेवा निवृति तक जीवित रहता है तो उसको तथा उसके परिवार को वृद्वावस्था में अतिरिक्त संसाधनों के लिए की गई है। अंशदायी के सामान्य संचयों से किसी भी तरह का हस्तक्षेप इन प्रयोजनों का प्रत्याहरण करता है और निधि के सही उदेश्यों को समाप्त करता है। यहां पर यह आशंका रहती है कि अंशदायी निधि को सामान्य बैंक लेखे के रुप में समझ सकता है तथा अंशदायी की यह प्रवृति जब उसकी या उसके परिवार की वृद्वाव्यस्था के दौरान जब उसे सबसे अधिक सहायता चाहिए हो इस लेखे को समाप्त कर सकती है। इसलिए मंजूरी प्राधिकारी को, अंशदायी द्वारा निधि को किसी सस्ते लोन के रुप में प्रयोग करने प्रयास को रोकने में कोई झिझक नहीं होगी।

अग्रिम की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा उनके उतरदायित्व।

35. (1) नियम 32 के अधीन किन्हीं प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष होगा। तथापि, कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष की दशा में, यह क्रमशः विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक सचिव द्वारा स्वीकृति किया जाएगा। मूल विभाग के ये प्राधिकारी अंशदायी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति के दौरान भी कोई अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

(2) जहां प्रथम अग्रिम अनुज्ञेय सीमा तक नहीं लिया गया है तो उसी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा किन्ही प्रयोजनों के लिए द्वितीय अग्रिम राशि स्वीकार्यता की राशि तथा प्रथम अग्रिम के लिए स्वीकृति राशि के अंतर के बराबर तक की प्रदान की जा सकती है।

(3) मंजूरी प्राधिकारी अंशदायी द्वारा अग्रिम के लिए किए गए अनुरोध की ध्यान से संवीक्षा करेगा। जहां समारोह खर्च धार्मिक प्रथा के लिए आवश्यक है, तथापि यह परिवार के संसाधनों तक ही सीमित होगा तथा किसी भी अंशदायी को निधि में निक्षेपों की संख्या पर ऐसे खर्च बढ़ाने के लिए अधिकार नहीं देगा। किसी समारोह के लिए आवश्यक खर्च के लिए निधि से अग्रिम न्यायसंगत के रुप में दिया जाएगा, जहां पर कोई अन्य संसाधन नहीं है, किन्तु न कि दिखावे के लिए किये जाने वाले ऐसे खर्च के लिए;

(4) मंजूरी प्राधिकारी, अग्रिम स्वीकृति समय अंशदायी की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए किस्तों की संख्या नियत करेगा कि सारी अग्रिम राशि को वास्तविक सेवानिवृति की तिथि से छः मास पूर्व वसूल कर लिया जाए। शेष छः मास की अवधि में कोई भी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी विशेष रुप से किस्तों की संख्या व्यक्त करेगा जिसमें अग्रिम को वसूल किया जाना है। अग्रिम राशि को मंजूरी आदेश के अनुसार वसूल करने का दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

(6) अग्रिम स्वीकार्यता के अध्यधीन प्ररुप पी.एफ.–11 में स्वीकृत किया जाएगा। मंजूरी आदेश की प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को पृष्ठांकित की जाएगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार खजाने/उप–खजाने से किया जाएगा तथा इसको अंशदायी को वितरित किया जाएगा। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा इस संबध में अंशदायी के लेखे में उसके कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रियानुसार आवश्यक प्रविष्ठियां दर्ज करेगा।

अग्रिम का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।

36. अंशदायी अग्रिम का उपयोग एक मास के भीतर कर लेगा तथा तदानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने या अग्रिम का दुरुपयोग करने की दशा में नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अग्रिम की वसूली।

37. (1) अग्रिम को अंशदायी से न्यूनतम बारह तथा अधिकतम छत्तीस मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा बशर्ते इसकी पूरी वसूली अंशदायी की सेवानिवृति की तिथि से छः मास पूर्व कर ली जाएगी। तथापि, अंशदायी अग्रिम की वसूली के लिए बारह किस्तों से कम का विकल्प चुन सकता है।

(2) वसूली, अग्रिम आहरण के मास से अगले मास के वेतन से शुरु होगी, उसे अंशदायी के लेखे में जमा कर दिया जाएगा। अंशदायी अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक राशी की किस्त लौटा सकता है।

(3) जब अंशदायी केवल गुजारे भत्ते को प्राप्त कर रहा होता है तो वसूली उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं की जाएगी। तथापि, इसकी वसूली एकमुश्त राशि में उसकी बहाली होने पर की जा सकती है, यदि उसे निलंबन अवधि का पूरा वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाता है।

(4) अंशदायी अवकाश के दौरान जो पूरे वेतन से कम अवकाश वेतन लेता है, तो उसकी सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। तथापि, वसूली अंशदायी की सहमति से की जाएगी।

(5) यदि किसी अंशदायी को अद्योलिखित नियम 33 के उप–नियम (3) के अधीन द्वितीय अग्रिम दिया गया है तो उसे वसूली के प्रयोजन के लिए अलग से माना जाएगा।

अध्याय–VIII

सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण

भवन निर्माण हेतु प्रथम प्रत्याहरण।

38. नियम 39 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा नियम 40 में उपबंध के अध्यधीन अंशदायी अपनी पूरी सेवा के दौरान उसके लेखे में जमा नब्बे प्रतिशत तक की राशि तथा आंबटन या पंजीकरण के किन्ही अन्य प्रभारों सहित वास्तविक लागत, जो कम हो, अपने निवास हेतु निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण प्राप्त कर सकता हैः–

(क) उपयुक्त मकान/फ्लैट बनाने के लिए; या

(ख) हाऊसिंग बोर्ड, हाउस बिल्डिंग सोसायटी या संघ राज्य क्षेत्र सहित किसी सरकार द्वारा अनुमोदित विकास एजेंसी से बना–बनाया मकान/फ्लैट/मकान की जगह खरीदने या अर्जित करने के लिए; या

(ग) खुले बाजार में किसी प्राधिकृत बिल्डर/एजेंट के माध्यम से बना–बनाया मकान/फ्लैट/मकान की जगह खरीदने के लिए; या

(घ) उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए प्राप्त ऋण के लेखे में बकाया राशि को वापिस करने के लिए।

उपरोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. 4 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणः– अंशदायी को सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण की मंजूरी के लिए कार्यालयाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा तथा विभागाध्यक्ष के लिए उससे अगला उच्च प्राधिकारी सक्षम होगा।

भवन निर्माण के लिए द्वितीय प्रत्याहरण।

39. कोई अंशदायी जिसने पहले ही भवन निर्माण के लिए प्रथम प्रत्याहरण ले लिया है, तो उसे नियम 38 के किन्हीं प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा द्वितीय प्रत्याहरण भी अनुज्ञात किया जाएगा अर्थात् दूसरा मकान/फ्लैट/मकान की जगह खरीदने या निर्माण के लिए, नियम 40 में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे में पचहत्तर प्रतिशत तक राशि या वास्तव लागत, जो भी कम हो, के लिए दी जा सकती है तथा इस तथ्य का ध्यान रखे बिना कि–

(क) वह अपने पूर्व मकान को बेचना चाहता है या नहीं; तथा

(ख) उसने सरकार से उसी प्रयोजन के लिए भवन निर्माण अग्रिम लिया है या नहीं।

इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. 4 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

भवन निर्माण के लिए प्रथम तथा द्वितीय प्रत्याहरण के लिए शर्तें।

40. नियम 38 या 39 के किन्हीं प्रयोजनों के लिए निधि से प्रत्याहरण के लिए विहित प्ररुप में आवेदन प्रस्तुत करते समय अंशदायी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि–

(i) मकान के निर्माण या पहले से ही स्वामित्व या अर्जित किये गऐ प्लाट पर निर्माण के लिए लिये गए ऋण की किसी बकाया राशि के पुनः भुगतान हेतु भूमि जिस पर गृह निर्माण किया जाना है पर अंशदायी का व्यक्तिगत रूप से या उसकी/उसके पत्नी/पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व निर्विवाद है या यदि प्लाट जिस पर निर्माण किया जाना है पट्टे पर है, तो पट्टे की शर्तें ऐसी होगीं जो उसे गृह निर्माण अग्रिम के लिए हकदार बनाएं ;

(ii) यदि किसी शहर/कस्बे या किसी नगरीय सम्पदा या ग्रामीण क्षेत्रों की नगरपालिका की सीमाओं के भीतर मकान का निर्माण/पुनः निर्माण किया जाना है, तो अंशदायी से वास्तुकार (वास्तुकारों) या अनुमोदित भवन ठेकेदार या सिविल इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित अनुमानों सहित स्थल के नक्शे की प्रति प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि उसकी भूमि/सम्पत्ति निर्विवाद है। यदि वह गांव के "लाल डोरा" में पड़ता है तो राजस्व प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि अंशदायी की भूमि/सम्पत्ति निर्विवाद है;

(iii) खुले बाजार से बना–बनाया मकान खरीदने पर यह सभी प्रकार के ऋण–भारों से मुक्त होगा।

(iv) जहां पर अंशदायी ने विकास प्राधिकरणों, राज्य आवास बोर्ड या किसी सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण समिति के माध्यम से स्थल या मकान या फ्लैट की खरीद या निर्मित फ्लैट के लिए किस्तों में अदायगी करनी है तो उसे किस्त (किस्तों) की किसी संख्या अदायगी करने के समय, जब कभी उसे कहा जाता है तो प्रत्याहरण के लिए इस शर्तों के अध्यधीन अनुमत किया जाएगा कि प्रत्याहरण की कुल राशि प्रथम किस्त स्वीकृत करते समय अंशदायी की निधि में जमा राशि का 90%से अधिक नहीं होगा।

मकान का विक्रय, उपहार, विनिमय अनुज्ञेय नही।

41. अंशदायी जिसने इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण से मकान/फ्लैट/मकान–स्थल को खरीदा या अर्जित किया है, तो वह इसे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति

के बिना विक्रय, गिरवी (राज्यपाल के पास गिरवी रखने के सिवाय), उपहार, विनिमय या अन्यथा किसी को नहीं देगा। परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगीः–

(क) तीन साल से अधिक किसी अवधि के लिए मकान या मकान स्थल को पट्टे पर देने के लिए; या

(ख) आवास बोर्ड, अनुसूचित बैंकों, बीमा निगमों या संघ राजक्षेत्र द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य संगठन के पक्ष में गिरवी रखे जाने पर जो नये मकान का निर्माण करने के लिए या किसी विद्यमान मकान या प्लाट खरीदने में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए ऋण देते हैं।

मकान में परिवर्धन/परिवर्तन करने लिए प्रत्याहरण।

42. इन नियमों में यथा अन्यथा के सिवाय, अंशदायी को अपनी पूरी सेवा अवधि में एक बार अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे में राशि के 50 प्रतिशत तक या अनुमानित लागत, जो कम भी हो, राशि का प्रत्याहरण मकान के पुनर्निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन या फ्लैट के लिए, उसके द्वारा भवन निर्माण प्रथम प्रत्याहरण की स्वीकृति के पांच वर्षों के उपरांत नियम 40 की शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 4 में, दोहरी प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

पूर्वजों के घर की संभाल के लिए प्रत्याहरण।

43. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अंशदायी को उसकी पूरी सेवा अवधि में अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे में पचास प्रतिशत के बराबर राशि या अनुमानित लागत, जो कम भी हो, की राशि को पूर्वजों के मकान का नवीनीकरण, परिवर्धन, परिवर्तन करने के प्रयोजन लिए विभागाध्यक्ष द्वारा उसके अपने घर के पुनर्निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए किये गये प्राप्त प्रत्याहरण, यदि कोई हो, की स्वीकृति के दस वर्षों के बाद नियम 42 तथा नियम 40 की शर्त, यदि कोई हो, के अध्यधीन स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 4 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

बेरोजगार/आश्रित बालकों की रोज़गार स्थापना के लिए प्रत्याहरण।

44. अंशदायी को विभागाध्यक्ष द्वारा, निधि में जमा राशि का पचास प्रतिशत तक का प्रत्याहरण उसके अठारह वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने वाले बेरोजगार/आश्रित बालकों (विवाहित पुत्रियों को निकालकर) को स्थाई रोजगार देने के लिए कोई व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाई अर्जित या स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 4 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

बालकों की उच्चतर शिक्षा के लिए प्रत्याहरण।

45. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण की अनुमति निम्नलिखित सीमा तक प्रत्येक बालक के लिए नियम 32 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट डिप्लोमा या डिग्री कोर्सिज़ के खर्च को पूरा करने के लिए दी जाएगीः–

(i) सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा का पचहत्तर प्रतिशत तक या संस्थान द्वारा मांगी गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, दाखिले की लागत (जिसमें वर्ष के लिए वार्षिक फीस भी शामिल है) को पूरा करने के लिए;

(ii) पश्चात्वर्ती शैक्षिणिक वर्षों के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा का पचास प्रतिशत तक या संस्थान द्वारा मांगी गई राशि, जो भी कम हो, वर्ष में एक बार;

या

वे कोर्सिज़ जिनके लिए भुगतान समैस्टर आधार पर किया जाना है, तो इसके लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा का पच्चीस प्रतिशत तक या संस्थान द्वारा मांगी गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, वर्ष में दो बार;

(iii) उसी पाठ्यक्रम (कोर्स) जिसके लिये सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम प्राप्त किया गया है, के सम्बन्ध में।

टिप्पण.– इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 5 में, दोहरी प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

विवाह समारोह के लिए प्रत्याहरण।

46. सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण जमा राशि के पचहत्तर प्रतिशत तक विभागाध्यक्ष द्वारा अंशदायी को स्वयं के विवाह या बालकों के विवाह या उसके परिवार के अन्य आश्रित सदस्य (सदस्यों) के विवाह के लिए अद्योलिखित नियम 32(3)(ख) तथा इस नियम में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन अनुमति दी जाएगी :–

(i) उसी विवाह के सम्बन्ध में या तो प्रत्याहरण या अग्रिम की सामान्य भविष्य निधि लेखे से अनुमति दी जाएगी;

(ii) अंशदायी जो नियम 32 के अधीन अग्रिम प्राप्त करता है, तो वह अपने विवेक से कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित लिखित अनुरोध से, बकाया शेष राशि को सक्षम प्राधिकारी से, इस नियम में अधिकथित शर्तों को पूरा करने पर प्रत्याहरण में परिवर्तित करवा सकता हैं ;

(iii) प्रत्याहरण उस मास जिसमें वास्तविक रुप में विवाह होता है से दो मास पूर्व अनुज्ञात नहीं किया जा सकता या न ही शादी के एक मास बाद, बशर्ते आवेदन शादी समारोह से पहले किया गया था;

(iv) यदि दो या ज्यादा विवाह एक साथ होने हैं तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में अनुज्ञेय प्रत्याहरण की राशि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी मानो प्रत्याहरण एक के बाद दूसरा अलग से स्वीकृत किया गया है;

(v) सगाई समारोह तथा विवाह समारोह को अलग–अलग माना जाएगा। अंशदायी को निधि से विवाह समारोह के प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण की भी अनुमति दी जाएगी चाहे उसने सगाई समारोह के लिए नियम 32 के अधीन भी अग्रिम प्राप्त किया हो।

इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 6 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

मोटर वाहन को खरीदने के लिए प्रत्याहरण।

47. अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण उसके लेखे में जमा पचास प्रतिशत तक की राशि या मोटरवाहन की वास्तविक लागत जिसमें पंजीकरण प्रभार भी शामिल है, जो भी कम हो, निम्नलिखित किसी प्रवर्ग के अंशदायी को विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगाः–

(क) एक बार मोटर कार के लिए; और

(ख) दो बार दुपहिया वाहन के लिए,

पूरी सेवा अवधि के दौरान निम्नलिखित के लिए भी प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जाएगाः–

(i) वाहन की लागत तथा सरकार से उसी प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण के अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए;

(ii) सरकार, अनुसूचित बैंकों या वित्त एजेंसियों से उसी प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण को पुनः चुकाने के लिए।

इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 7 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रत्याहरण।

48. सामान्य भविष्य निधि लेखे से 90 प्रतिशत तक का प्रत्याहरण विभागाध्यक्ष द्वारा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व एक वर्ष के भीतर प्रयोजन का कोई कारण बताए बिना स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 8 में, दोहरी प्रतियों में, कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रत्याहरण की मंजूरी की रीति तथा सक्षम प्राधिकारी।

49. कार्यालयाध्यक्ष, अंशदायी द्वारा प्रस्तुत प्रत्याहरण हेतु आवेदन की संवीक्षा के बाद, इसकी एक प्रति, समर्थित दस्तावेजों सहित विभागाध्यक्ष को भेजेगा। विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी प्रत्याहरण की शर्तों तथा स्वीकार्यता को पूरा करने के बाद, निधि से प्रत्याहरण के लिए प्ररूप पी.एफ. संख्या 12 में मंजूरी देगा; जिसकी प्रति संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को भी पृष्ठांकित की जाएगी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकार–क्षेत्र के खजाने/उप–खजाने से निधि की राशि को निकलवाया जाएगा तथा उसे अंशदायी को वितरित किया जाएगा। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा सम्बद्व अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में निधि से प्रत्याहरण के लिए स्वीकृति का उचित नोट रखेगा।

शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन।

50. विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय सचिव इन नियमों के अधीन अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिए उन्हें प्रदत्त शक्तियों को उनकी अपनी जिम्मेदारी पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जिन्हें वे लगाना पसंद करें, उनके मुख्यालय/जिला/किसी अन्य कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत किसी अधीनस्थ अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे का न हो को पुनः प्रत्योजित कर सकते हैं। शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन की प्रतियां संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

प्रत्याहरण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।

51. कोई अंशदाता जिसको अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से किसी प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण की अनुमति दी गई है, तो वह मंजूरी प्राधिकारी को निम्नलिखित समय अवधि के भीतर संतुष्ट करेगा कि प्रत्याहरण की तिथि से जो धन राशि प्रयोजन, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी के लिए उपयोग किया गया हैः–

(क) नियम 38, 39, 42, 43 या 44 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण की दशा में छः मास;

(ख) नियम 45, तथा 47 के अधीन किसी अन्य प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए प्रत्याहरण की दशा में एक मास; तथा

(ग) नियम 46 के अधीन किसी प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण की दशा में दो मास;

अग्रिम/प्रत्याहरण का दुरुपयोग।

52. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अंशदायी द्वारा प्राप्त अग्रिम या प्रत्याहरण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है या मंजूरी प्राधिकारी के पास शंका का कारण है कि इन नियमों के अधीन निधि से अग्रिम या प्रत्याहरण के रूप में ली गई राशि का उपयोग, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई थी तो वह अपनी शंका के कारणों को अंशदायी को संसूचित करेगा तथा ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने के लिए उससे उपेक्षा की जाएगी कि क्या अग्रिम या प्रत्याहरण राशि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए यह स्वीकृत की गई थी के लिए किया गया था। यदि मंजूरी प्राधिकारी अंशदायी के तीस दिन की उक्त अवधि में प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नही होता है, तो मंजूरी प्राधिकारी अंशदायी को निर्देश देगा कि वह प्रश्नगत राशि को तत्काल निधि में पुनः जमा करवाए या इसकी चूक होने पर अंशदायी के वेतन बिल से एकमुश्त कटौती द्वारा राशि वसूल करने का आदेश देगा चाहे वह अवकाश पर हो। यदि, तथापि, पुनः भुगतान की जाने वाली कुल राशि अंशदायी के वेतन के आधे से अधिक है, तो वसूलियां मासिक किस्तों में, जो मंजूरी प्राधिकारी निर्धारित करे, किन्तु उसके वेतन के एक तिहाई से अधिक न हो, वसूल की जाएगी। अंशदायी को निधि से कोई अग्रिम लेने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिये और प्रत्याहरण के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए भी वंचित कर दिया जाएगा।

अग्रिम/प्रत्याहरण के मामलों की सूची का तिमाही प्रस्तुतीकरण।

53. कार्यालयाध्यक्ष उस द्वारा स्वीकृत अग्रिमों/प्रत्याहरणों की समेकित सूची प्ररूप पी.एफ. संख्या 13 में प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही पर विभागाध्यक्ष को सम्बद्ध अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे से निकाले गये वास्तविक अग्रिम/प्रत्याहरण के सत्यापन के लिए भेजेंगे। अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सभी सूचियों को विभागाध्यक्ष मुख्यालयों द्वारा स्वीकृत अग्रिमों/प्रत्याहरणों सहित प्ररूप पी.एफ. संख्या 14 में समेकित करेंगे तथा उनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा से मिलान किया जाएगा।

अध्याय–IX

सामान्य भविष्य निधि लेखे की राशि का अंतिम भुगतान तथा उसकी रीति

सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर अंतिम भुगतान।

54. (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब भी कोई अंशदायी सेवानिवृत, त्यागपत्र, पदच्युति, हटाया जाने या अन्यथा के फलस्वरुप सेवा को छोड़ता है, तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाएगी जिसके लिए उसे आवेदन प्ररूप पी.एफ. 9 में सभी प्रकार से पूर्ण करके दोहरी प्रतियों में सेवा छोड़ने की तिथि से एक मास के भीतर अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की दशा में, आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से छः मास पूर्व अंशदायी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद इसे पन्द्रह दिन के भीतर, अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे की अंतिम विवरणी जारी होने के बाद, उस द्वारा देय अग्रिम की तथा लिए गए प्रत्याहरण, यदि कोई हो, की भी वसूली दर्शाते हुए, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को भेजेगा।

(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, बही खाते से पुष्टि के बाद, अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि के भुगतान को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद या शंका नहीं है, तो इसका आदेश अधिवर्षिता पर सेवानिवृति से पन्द्रह दिन पूर्व जारी किया जायेगा जो अगले मास के प्रथम कार्यदिवस पर दे दिया जाएगा तथा सेवा छोड़ने के अन्य मामलों में यह दो मास के भीतर जारी किया जाएगा। अतिशेष, यदि कोई हो तो, उसे भी यथा सम्भव शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।

(4) सेवा से पदच्युत या हटाया गया कोई अंशदायी जिसकी अपील उसकी पदच्युति/हटाए जाने के विरुद्ध विभाग में लंबित है, तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में अतिशेष तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उसकी अपील पर निर्णय पुष्टि के अन्तिम आदेश पारित नहीं किए जाते हैं या वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेता है, जो भी पहले हो।

(5) खजाना अधिकारी राशि का भुगतान केवल खजाना कार्यालय के लिए बने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा जारी प्राधिकार प्राप्त होने के बाद ही अनुज्ञात करेगा।

टिप्पण.– यदि अंशदायी जो सेवा से पदच्युत/हटाया गया हो तथा बाद में उसकी सेवा में पुनः बहाली हो जाती है, तो वह निधि से उसको भुगतान की गई कोई राशि नियम 27 में विहित दर पर उस पर ब्याज सहित राशि को वापिस जमा करवायेगा। इस प्रकार ऐसी वापिस की गई राशि को निधि में उसके लेखे में जमा कर दिया जाएगा।

सेवा के दौरान मृत्यु या गायब होने की दशा में अंतिम भुगतान।

55. (i) सेवा के दौरान अंशदायी की मृत्यु होने की दशा में, उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों)/नामांकित (नामांकितों) को भुगतानयोग्य होगी।

(ii) अंशदायी के गायब होने की दशा में तथा जब उसका कोई पता नहीं चलता है, तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों)/नामांकित (नामांकितों) को भुगतानयोग्य होगीः–

(क) परिवार सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाये तथा यह रिपोर्ट प्राप्त करे कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी को ढूंढा नहीं गया;

(ख) कर्मचारी के नामांकित/आश्रितों से क्षतिपूर्ति बंध पत्र, जिसका नमूना अनुबंध–3 पर है, लिया जाएगा कि यदि अंशदायी प्रकट हो जाता है और भुगतान के लिए दावा करता है तो उसको देय सभी भुगतानों को किए गए भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(ग) अंशदायी की हत्या का मुकद्दमा झेल रहे परिवार के सदस्य/नामांकितों को न्यायालय के आदेश तक कोई भुगतान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त दोनों मामलों में इस प्रयोजन के लिये दावेदार/(दावेदारों) द्वारा आवेदन प्ररूप पी.एफ. संख्या 10 में, दोहरी प्रतियों में, हर प्रकार से पूरा करके, कार्यालयाध्यक्ष को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा को तुरन्त प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) निर्विवादित राशि के अंतिम भुगतान के लिए प्राधिकार प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा द्वारा दो मास के भीतर जारी किया जाएगा। अतिशेष, यदि कोई हो, को भी यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा, बशर्ते विहित प्ररुप में आवेदन समय पर प्रस्तुत किया गया हो।

अंतिम भुगतान जब अंशदायी ने पीछे परिवार छोड़ा है।

56. जहां अंशदायी कोई परिवार छोड़ता है तथा–

(क) उस द्वारा नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के पक्ष में किया गया नामांकन बना रहता है, तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि या इसका भाग जो नामांकन से सम्बन्धित हैं नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार उसके नामांकित (नामांकितों) को भुगतानयोग्य हो जाएगा;

(ख) अंशदायी के परिवार के किसी सदस्य (सदस्यों) के पक्ष में ऐसा कोई भी नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन केवल उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि के किसी भाग से ही सम्बन्धित है, तो सारी राशि या इसका भाग जिसके लिए नामांकन सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों) से भिन्न किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के पक्ष में किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी नामांकन के होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगाः

परन्तु मृतक पुत्र (पुत्रों) की विधवा (विधवाएं) और सन्तान (सन्तानों) केवल उसी हिस्से को आपस में बराबर बांटेंगे जो उस पुत्र (पुत्रों) को मिलना था, यदि अंशदायी की मृत्यु से पूर्व वह/वे जीवित होता/होते;

(ग) नाबालिग की दशा में राशि का भुगतान विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, यदि नाबालिग का कोई भी नैसर्गिक संरक्षक जीवित नहीं है, तो नियम 60 में यथा अधिकथित अन्य पूर्वापेक्षित/औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा तथा तदानुसार प्राधिकार जारी कर दिया जाएगा।

अंतिम भुगतान जब अंशदायी ने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है।

57. जब अंशदायी पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है तथा उस द्वारा नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के पक्ष में कोई नामांकन किया गया है तो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि या उसका भाग जिसके लिए नामांकन सम्बन्धित है, उसके नामांकित (नामांकितों) को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतानयोग्य होगा। यदि, परिवार का कोई सदस्य न रखने वाले किसी अंशदायी की मृत्यु हो जाती है और वैध नामांकन भी नहीं है, तो विधि न्यायालय से उत्तराधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दावेदार (दावेदारों) को भुगतान किया जाएगा।

मरणोपरान्त पैदा हुआ बालक अंतिम भुगतान के लिए परिवार का सदस्य है।

58. अंशदायी की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुई संतान, उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य है। यदि बालक जीवित पैदा होता है, तो अंशदायी की मृत्यु से पूर्व पैदा हुआ बालक जीवित संतान के रूप में समझा जाएगा। यदि भ्रूण जो अंशदायी की मृत्यु के समय अस्तित्व में था की सूचना मरणोपरान्त कार्यालयाध्यक्ष को दी जाती है, तो उसके जीवित पैदा होने की संभावना में बच्चे को देय इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय राशि रोक ली जाएगी तथा शेष राशि का वितरण सामान्य रूप में किया जाएगा। यदि संतान जीवित पैदा होती है तो रोक कर रखी गई राशि का भुगतान उसी तरह से किया जाएगा, जिस तरह से नाबालिग बालक की दशा में किया जाता है, किन्तु यदि कोई संतान पैदा नहीं होती है तो रोकी गई राशि का वितरण परिवार को सामान्य नियमों के अनुसार कर दिया जाएगा।

पागल के लिए भुगतान की रीति।

59. यदि व्यक्ति जिसको, इन नियमों के अधीन, कोई राशि भुगतानयोग्य है, पागल है, जिसके लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम–4) के अधीन इस निमित्त कोई सम्पदा प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो इसका भुगतान पागल को न करके, प्रबन्धक को किया जाएगाः

परन्तु जहां पर कोई भी प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और व्यक्ति जिसको धन–राशि भुगतानयोग्य है, वह मजिस्ट्रेट द्वारा पागल के रूप में प्रमाणित किया गया है तो भुगतान भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम–4) की धारा 95 की उप–धारा (1) के अनुसार कलैक्टर के आदेश से उस व्यक्ति को भुगतान होगा जो ऐसे पागल की देख–रेख कर रहा है और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, केवल उतनी ही राशि या उसका ऐसा भाग जो वह उचित समझे, का पागल की देखरेख करने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, को पागल के भरण–पोषण के लिए उसे भुगतान कर दिया जाएगा।

संरक्षक के लिए भुगतान की रीति।

60. नाबालिग की दशा में भुगतान यदि उसका कोई भी नैसर्गिक संरक्षक जीवित नहीं है तो विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा तथा अनुबंध–4 के रूप में क्षतिपूर्ति बांड उससे प्राप्त किया जाएगा।

61. इन नियमों के अधीन भुगतानयोग्य अंतिम भुगतान, सभी परिस्थितियों में, केवल भारत में किया जाएगा। व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनको राशि भुगतानयोग्य है वे भारत में इसे प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेंगे। अंतिम भुगतान केवल भारत में।

62. अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा राशि को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19) की धारा–3 के अधीन किसी विधि न्यायालय द्वारा कुर्की से संरक्षित किया गया है। इसलिए सरकार के दावों को अनिवार्यतः तथा अंशदायी की सहमति के बिना उसकी शेष जमा राशि से वसूलीयोग्य नहीं है। सामान्य भविष्य निधि लेखे से अंशदायी की सहमति के बिना कोई वसूली नहीं।

अनुबंध–1

(देखिए नियम 6)

भविष्य निधि अधिनियम, 1925

सरकारी और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम।

चूंकि, सरकारी और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि को संशोधित ओर समेकित करना समीचीन है। यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाए सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—.

(क) ''अनिवार्य निक्षेप'' से अभिप्राय है, किसी भविष्य निधि में ऐसा अभिप्राय या निक्षेप जो उस निधि के नियमों के अधीन, जीवन बीमा की किसी पालिसी के सम्बन्ध में अभिदाय या प्रीमियम के संदाय के प्रयोजन से अन्यथा, मांग पर तब तक प्रतिसंदेय नहीं है जब तक कोई विनिर्दिष्ट घटना न हो जाए और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो किसी ऐसे अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन या वृद्धि भी जो ऐसी किसी घटना होने के पश्चात अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में बाकी बच जाती है, इसके अन्तर्गत है;

(ख) ''अंशदान'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी रकम जो किसी भविष्य निधि में उस निधि का प्रबन्ध करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा उस निधि में किसी खाते में जमा अभिदाय, या निक्षेप या अतिशेष के परिवर्धन के तौर पर जमा की गई है; और अंशदायी भविष्य निधि'' से अभिप्राय है, ऐसी भविष्य निधिा जिसके नियम अंशदानों को जमा करने के लिए उपबंध करते हैं;

(ग) ''आश्रित'' से अभिप्राय है, किसी भविष्य निधि में अभिदाय या निक्षेप करने वाले किसी मृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदार अर्थात् पत्नी, पति, माता–पिता, संतान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहिन और मृत पुत्र की विधवा तथा संतान, और जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के माता–पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, तो वहां पितामह– पितामही;

(घ) ''सरकारी भविष्य निधि'' से अभिप्राय है, ऐसी कोई भविष्य निधि जो रेल भविष्य निधि से भिन्न है और जो सेक्रेटरी आफ स्टेट, केन्द्रीय सरकार, क्राउन रिप्रेजैंटेटिव या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार से, उस सरकार की सेवा में व्यक्तियों के अथवा शैक्षिक संस्थाओं में नियोजित अथवा केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विधमान निकायों द्वारा नियोजित किसी वर्ग में व्यक्तियों या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, तथा इस अधिनियम में सरकार के प्रतिनिर्देशों को तदनुसार अर्थ किया जाएगा;

(ङ) ''भविष्य निधि'' से अभिप्राय है, ऐसी निधि जिसमें किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के अभिदाय या निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं और उनके पृथक खातों में रखे जाते हैं, और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो ऐसे अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत होती है इसमें शामिल है;

(च) ''रेल प्रशासन'' से अभिप्राय है,–

(i) भारत के किसी भाग में या तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंन्ट के किसी विशेष अधिनियम या किसी भारतीय विधि के अधीन अथवा सरकार के साथ की गई किसी संविदा के अधीन किसी रेल या ट्राम का प्रशासन करने वाली कोई कम्पनी; या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेल या ट्राम या प्रबंधक, और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार इसमें शामिल है;

(छ) ''रेल भविष्य निधि'' से अभिप्राय है, किसी रेल प्रशासन के प्राधिकार से उसके किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई भविष्य निधि।

3. अनिवार्य निक्षेप संरक्षण.—

(1) किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि का कोई अनिवार्य निक्षेप किसी भी प्रकार से समनुदेशित या भारित नहीं किया जा सकेगा और अभिदायकर्ता अथवा निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी सिविल, राजस्व या दाण्डिक न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकेगा तथा न तो कोई शासकीय समनुदेशिती और न कोई रिसीवर हो, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम,

1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त किया गया हो, किसी ऐसे अनिवार्य निक्षेप का हकदार होगा और न उसका उस पर कोई दावा ही होगा।

(2) किसी ऐसी निधि में किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के समय जमा कोई राशि, जो निधि के नियमों के अधीन उस अभिदायकार्त या निक्षपेकर्ता के किसी आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को संदेय है जो इस निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए और उस दशा को छोड़कर जब आश्रित अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी समनुदेशन के अधीन, किसी समनुदेशिती के अधिकारों के भी अधीन रहते हुए, आश्रित में निहित होगी और मृत व्यक्ति द्वारा उपगत अथवा उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु से पूर्व आश्रित द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से, यथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, मुक्त होगी।

4. प्रतिसंदायों के बारे में उपबंध.—

(1) जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के नियमों के अधीन किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि या उसका अतिशेष इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती करने के पश्चात संदेह हो गया है तब वह अधिकारी, जिसका कर्त्तव्य उसका संदाय करना है, यथास्थिति, उस राशि या अतिशेष का अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को संदाय करेगा अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है, तो –

(क) यदि वह राशि या अतिशेष अथवा कोई भाग धारा 3 के उपबन्धों के अधीन किसी आश्रित में निहित है, तो उसका संदाय उस आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसके निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है; या

(ख) यदि सम्पूर्ण राशि या अतिशेष पांच हजार से अधिक नहीं है, तो उसका या उसके किसी भाग का संदाय, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय नहीं है, निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्देशित नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए अन्यथा उसको हकदार प्रतीत हो; या

(ग) यदि ऐसी राशि या अतिशेष या उसका कोई भाग खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को संदाय नहीं है, तो उसका संदाय–

(i) निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रबन्ध उसे देना साक्ष्यित करने वाला प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889 के अधीन या 1827 के मुम्बई विनियम 8 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र, जो उसके धारक को ऐसी राशि, अतिशेष या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाता है, पेश किए जाने पर करेगा; या

(ii) यदि कोई समनुदेशित व्यक्ति नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो ऐसा प्रोबेट, प्रशासन–पत्र या प्रमाणपत्र पेश करे :

परन्तु जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित किया गया है, और समुनदेशन की लिखित सूचना अधिकारी को समनुदेशिती से मिल चुकी है, वहां वह अधिकारी इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती तथा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान को उनके निमित्त खण्ड (क) के अधीन देय कोई संदाय करने के पश्चात —

(i) यदि अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता, अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह व्यक्ति, जिसको किसी विधिमान्य समनुदेशन के अभाव में वह राशि या अतिशेष उस उपधारा के अधीन संदेय होता है, अपनी लिखित सहमति दे देता है, तो, यथास्थिति, उस राशि या भाग का या उसके अतिशेष का संदाय समनुदेशिती को करेगा; या

(ii) यदि ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो, यथास्थिति, उस राशि, भाग या अतिशेष का संदाय, उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय तक के लिए रोक रखेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत संदाय करने पर, यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि में से इतनी राशि के सम्बन्ध में, जितनी इस प्रकार संदत की गई रकम के बराबर है समस्त दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा।

5. नामनिर्देशितियों के अधिकार .—

(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में या किसी सरकार भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उस निधि में अपने खाते में जमा राशि या उसके किसी भाग के, वसीयती या अन्य, किसी बयान में किसी बात के होते हुए भी, जहां निधि के नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया कोई

नामांकन, उस राशि के संक्षेप हो जाने के पूर्व, अथवा उस राशि के संदेय हो जाने पर उसका संदाय किए जाने से पूर्व, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर ऐसी सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करना तात्पर्यित करता है वहां उक्त व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को यथापूर्वोक्त मृत्यु पर, यथा स्थिति, ऐसी राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा, किन्तु यदि—

(क) ऐसा नामांकन उसी प्रकार किए गए दूसरे नामांकन से किसी समय परिवर्तित किया गया है अथवा उन नियमों द्वारा विहित रीति से और प्राधिकारी को दी गई सूचना से अभिव्यकतता रद्द कर दिया गया है; अथवा

(ख) ऐसा नामांकन किसी समय उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने के कारण अविधिमान्य हो गया है, तो वह व्यक्ति हकदार नहीं होगा, और यदि उक्त व्यक्ति, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता से पहले मर जाता है, तों नामांकन, जहां तक वह उक्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से सम्बन्धित है, शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु जहां निधि के नियमों के अनुसार, नामांकन में मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से उपबंध किया गया है वहां ऐसा अधिकार, उक्त व्यक्ति की यथापूर्वोक्त मृत्यु हो जाने पर ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा।

(2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या 1827 के मुम्बई विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जो यथापूर्वोक्त हकदार हो जाता है, ऐसी राशि या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाने वाला हक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, उस अधिनियम या उस विनियम के अधीन दिया जा सकेगा और ऐसा प्रमाणपत्र मृत व्यक्ति की सम्पदा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र दिए जाने से अविधिमान्य या अधिक्रांत हुआ नहीं समझा जाएगा।

(3) भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1946 (1946 का 11) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि से पूर्व किए गए समस्त ऐसे नामांकनों को भी लागू होंगे :

परन्तु इस प्रकार संशोधित इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे मामले पर प्रभाव नहीं डालेंगे जिसमें उक्त तिथि से पूर्व, किन्हीं नियमों के अनुसार सम्यक रूप से किए गए किसी नामांकन के अनुसरण में किसी राशि का संदाय कर दिया गया है या निधि के नियमों के अधीन वह संदेय हो गई है।

6. कटौतियां करने की शक्ति.—जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के, जो अंशदायी भविष्य निधि है, किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि संदेय हो जाती है, तब यदि निधि के नियमों में उस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निर्देश देता है, तो उसमें से निम्नलिखित रकम काट ली जाएगी और, यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन को संदत कर दी जाएगी—

(क) अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी दायित्व के अधीन सरकार या रेल प्रशासन को देय कोई रकम किन्तुं जो किसी भी दशा में अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा किन्हीं अंशदानों की तथा किसी ऐसे ब्याज या वृद्धि की, जो ऐसे अनुदानों पर प्रोद्भूत हो गई है, कुल रकम से अधिक नहीं होगी; या

(ख) जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को उसके नियोजन से किन्हीं ऐसे कारणों से, जो निधि के नियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, पदच्युत कर दिया गया है अथवा जहां उसने ऐसे नियोजन को उसके प्रारम्भ के पांच वर्ष के अन्दर त्याग दिया है, वहां किन्हीं ऐसे अंशदानों, ब्याज और वृद्धि की सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग।

6.क. सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर पूर्व अनुज्ञा के बिना वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की दशा में सरकारी अंशदानों को रोक लेना या उनकी वसूली.—

(1) इस धारा में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''केन्द्रीय सरकार का अधिकारी'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि में कोई ऐसा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता, जो अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सेवा वर्ग–1 का सदस्य है, किन्तु किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सेवा–संविदा के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं है;

(ख) ''वाणिज्यिक नियोजन'' से अभिप्राय है, व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कम्पनी, सरकार सोसाइटी, फर्म या व्यष्टि के अधीन (अभिकर्ता की हैसियत सहित) किसी भी हैसियत में नियोजन और इसमें निम्नलिखित भी शामिल है :–

(i) किसी कम्पनी का निदेशक पद;

(ii) किसी सहकारी सोसाइटी में अध्यक्ष, सभापति, प्रबन्धक, सचिव, कोषपाल जैसे भी नाम से ज्ञात किसी पद को, चाहे वह निर्वाचित हो या न हो, धारण करना; और

(iii) ऐसे विषयों में सलाहकार या परामर्शी के तौर पर या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में व्यवसाय प्रारम्भ करना, जिनकी बाबत,—

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास कोई कृत्तिक अर्हताएं नहीं है और वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है या चलाया जाता है, उसकी शासकीय जानकारी या अनुभव से सम्बद्ध है; या

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास कृत्तिक अर्हताएं हैं, किन्तु वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है, ऐसे हैं जिनसे यह सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उनके द्वारा धारित पदो ंके कारण उनके व्यवहारियों को नावाजिब फायदा हो; या

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अधिकारी को ऐसे कार्य का भार ग्रहण करना है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों से सम्पर्क या सम्बन्ध अन्तर्ग्रस्त है,

किन्तु किसी ऐसे निगम या कम्पनी में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है अथवा किसी ऐसे निकाय में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार के नियन्त्रण में है या उसके वितपोषित किया जाता है, इसमें शामिल नहीं है;

(ग) ''सरकारी अंशदान'' से अभिप्राय है, भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम , 1975 के प्रारम्भ होने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात किसी अवधि की बाबत किया गया अंशदान;

(घ) ''विहित'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, उस दशा में, जब वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है, तो किसी अंशदायी भविष्य निधि में उसके नाम में जमा किए गए, सरकारी अंशदानों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1.— इस उपधारा और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए ''सेवानिवृत्ति की तिथि'' से अभिप्राय है, सेवानिवृत्ति के पश्चात केन्द्रीय सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य वर्ग–1 पद पर या किसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही किसी अन्य पद पर सेवा–विच्छेद के बिना पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के सम्बन्ध में वह तिथि होगी, जिसको केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी सरकारी सेवा में अन्ततः पुनर्नियोजित नहीं रहता।

स्पष्टीकरण 2.— केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में, जिसे उसकी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान किसी विशिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसने सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे नियोजन में अपने बने रहने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को, उस आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, अनुज्ञा दे सकती है, या ऐसे कारणों से, जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे, अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने में या देने से इन्कार करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(क) जिस नियोजन को ग्रहण करने का विचार है उसकी प्रकृति और नियोजन के पूर्ववृत;

(ख) क्या उस नियोजन में, जिसे ग्रहण करने का उसका विचार है, उसके कर्त्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसे सरकार का विरोध करना पड़े;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन उसका नियोजन प्राप्त करने का विचार है, ऐसे कोई संव्यवहार किए थे जो इस संदेह के लिए युक्तियुक्त आधार हो सकते हैं कि ऐसे अधिकारी ने उस नियोजक के साथ पक्षपात किया था;

(घ) कोई अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है, या आवेदक को ऐसे इन्कार की

संसूचना नहीं देती है, तो यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अनुज्ञा दे दी है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(6) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन देती है या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो आवेदक, उस आशय के केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, किसी ऐसी शर्त या इन्कार के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार उस पर ऐसे आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई ओदश जो ऐसी शर्त को रद्द करने या किन्हीं शर्तों के बिना ऐसी अनुज्ञा देने वाले आदेश से भिन्न है, अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या कोई ऐसी शर्त भंग करता है जिस पर कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा दी गई है, तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे सरकारी अंशदानों के, जो उस अधिकारी के सम्बन्ध में किए गए हो, इतने भाग का हकदार नहीं होगा जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि वह उसे प्राप्त कर चुका है, तो यह निर्देश देने के लिए सक्षम होगी कि वह सरकारी अंशदानों के उक्त भाग के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को वापस करे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, सम्बन्धित अधिकारी को ऐसी घोषणा या निर्देश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात्:–

(i) सम्बन्धित अधिकारी की वित्तीय परिस्थिति;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे उपलब्धियां;

(iii) ऐसी अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(8) यदि कोई ऐसी रकम, जो उपधारा (7) के अधीन किसी आदेश द्वारा वापिस की जानी अपेक्षित है, विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है, तो वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(9) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सम्बन्धित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(10) इस धारा के उपबन्ध, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या किसी अंशदायी भविष्य निधि को लागू नियमों में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(11) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

8. अधिनियम को अन्य भविष्य निधियों को लागू करने की शक्ति.—

(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 6 क को छोड़कर इस अधिनियम के सभी उपबन्ध, स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे, और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, सरकार हो।

(2) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि धारा (6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सभी उपबन्ध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी के अथवा ऐसी संस्थाओं के किसी समूह के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुसार ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी निधि हो और वह प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में निधि है, सरकार होः

परन्तु धारा 6 इस प्रकार लागू होगी मानो उस धारा में निर्दिष्ट अंशदान करने वाला प्राधिकारी, सरकार हो।

(3) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था का नाम जोड़ सकेगी जिसे वह ठीक समझे और इस प्रकार जोड़ा जाना ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम द्वारा किया गया हो।

(4) इस धारा में ''समुचित सरकार'' से अभिप्राय है –

(क) किसी छावनी प्राधिकरण, किसी महापतन के लिए पतन प्राधिकरण और किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में, जो या जिसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 के अन्तर्गत प्रतीत हों, केन्द्रीय सरकार; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार ।

स्पष्टीकरण.— सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था के सम्बन्ध में ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, से उस राज्य की राज्य सरकार जिसमें वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है।

9. **सैनिकों की सम्पदाओं के बारे में व्यावृत्तियां.—** धारा 4 या धारा 5 की कोई बात किसी ऐसी सम्पदा के धन को लागू नहीं होगी जिसके प्रबन्ध के प्रयोजन के सम्बन्ध में रेजीमैंटल डैट अधिनियम, 1893 लागू होता है।

10. **निरसन.—** निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

अनुसूची

(जोड़ी नहीं गई)

अनुबंध–2

(देखिए नियम 27)

1966–67 से आगे हरियाणा सरकार द्वारा विहित सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर की सूची

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	ब्याज की दर	वित्त विभाग की पत्र संख्या तथा तिथि
1	2	3	4
1	1966–67	5 प्रतिशत	.....
2	1967–68	5 प्रतिशत	संख्या 3364–3डब्ल्यू एम–67/19763, दिनांक 30.08.1967
3	1968–69	5.20 प्रतिशत	संख्या 2516–3डब्ल्यू एम–63/13757, दिनांक 15.06.1968
4	1969–70	5.50 प्रतिशत	संख्या 5781–3डब्ल्यू एम–69/28997, दिनांक 14.10.1969
5	1970–71	5.75 प्रतिशत	संख्या 5714–3डब्ल्यू एम–70/26814, दिनांक 29.09.1970
6	1971–72	5.75 प्रतिशत	संख्या 6328–3डब्ल्यू एम–71/36073, दिनांक 25.11.1971
7	1972–73	5.75 प्रतिशत	.....
8	1973–74	6 प्रतिशत	संख्या 5862–3 डब्ल्यू एम–73/37693, दिनांक 27.09.1973
9	1974–75	7 प्रतिशत	संख्या 1757–3 डब्ल्यू एम–74/9156, दिनांक 12.03.1974
10	1975–76	7.50 प्रतिशत	संख्या 3925–3 डब्ल्यू एम–75/22222, दिनांक 15.07.1975
11	1976–77	7.50 प्रतिशत	.....
12	1977–78	7.50 प्रतिशत	संख्या 4778–6 डब्ल्यू एम–77/15163, दिनांक 25.05.1977
13	1978–79	8 प्रतिशत	संख्या 34/5/78–6 डब्ल्यू एम, दिनांक 23.06.1978
14	1979–80	8 प्रतिशत	संख्या 34/5/78–6 डब्ल्यू एम, दिनांक 21.05.1979
15	1980–81	8 प्रतिशत	संख्या 34/5/78–6 डब्ल्यू एम, दिनांक 16.05.1980
16	1981–82	8.50 प्रतिशत	संख्या 34/5/78–6 डब्ल्यू एम, दिनांक 06.08.1981
17	1982–83	9 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 06.09.1982
18	1983–84	9 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 06.09.1983
19	1984–85	9 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 11.06.1984
20	1985–86	9 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 21.05.1985
21	1986–87	12 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 03.03.1987
22	1987–88	12 प्रतिशत	संख्या 34/4/82 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 14.07.1987
23	1988–89	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/88 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 13.10.1988
24	1989–90	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/88 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 30.11.1989

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	ब्याज की दर	वित्त विभाग की पत्र संख्या तथा तिथि
1	2	3	4
25	1990–91	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/91 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 25.07.1991
26	1991–92	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/91 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 25.07.1991
27	1992–93	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/91 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 14.01.1993
28	1993–94	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 22.03.1994
29	1994–95	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 06.01.1995
30	1995–96	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 28.06.1995
31	1996–97	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 18.06.1996
32	1997–98	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 23.07.1997
33	1998–99	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 11.08.1998
34	1999–00	12 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 10.04.2000
35	2000–01	11 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 01.12.2000
36	2001–02	9.5 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 19.10.2001
37	2002–03	9 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 31.05.2002
38	2003–04	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/93 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 19.05.2003
39	2004–05	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 03.09.2004
40	2005–06	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 10.02.2006
41	2006–07	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 28.11.2006
42	2007–08	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 15.01.2008
43	2008–09	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 13.01.2009
44	2009–10	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 08.03.2010
45	2010–11	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 31.03.2011
46	01.04.2011 से 30.11.2011 तक	8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 02.05.2012
	01.12.2011 से 31.03.2012 तक	8.6 प्रतिशत	
47	2012–13	8.8 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 16.07.2012
48	2013–14	8.7 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 31.05.2013
49	2014–15	8.7 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 18.01.2015
50	2015–16	8.7 प्रतिशत	संख्या 34/2/94 डब्ल्यू एम (3), दिनांक 10/14.07.2015

अनुबंध–3

(देखिए नियम 55)

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

(गुमशुदा सरकारी कर्मचारी की दशा में सामान्य भविष्य निधि, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, पारिवारिक पेंशन, अवकाश भुनाने या अन्य कोई बकाया के भुगतान के लिए कुटुम्ब के पात्र सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

सभी व्यक्तियों को इन प्रस्तुतियों से यह ज्ञात हो कि हम (क) .....(ख) .... जो विधवा/पुत्र/भाई/नामनिर्देशिती आदि (ग) ..... .जो ..... (पदनाम) के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात गुमशुदा सरकारी कर्मचारी कहा गया है।) .. ..विभाग/कार्यालय में कार्य कर रहा था, और जिसकी .. ..तिथि से गुमशुदा के रूप में रिपोर्ट की गई है और जो ....का निवासी है विधवा/पुत्र/भाई/नामनिर्देशिती आदि हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात आभारी कहा गया है) और (घ)..... श्री ..... का (पुत्र/पत्नी/पुत्री), जो .....का निवासी और श्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .....जो ....की निवासी हैं, जो आभारी की ओर से और उसके निमित्त जमानती हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् जमानती कहा गया है) को संयुक्त रूप से हरियाणा के राज्यपाल के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) .....रुपये की रकम के मद्दे जो (i) वेतन और भत्तों, (ii) छुट्टी नकदीकरण, (iii) साधारण भविष्य निधि, (iv) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान; (v) पारिवारिक पेंशन और (vi) अन्य शोध्यों के संदाय के बराबर रकम, सरकार को मांग किए जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार द्वारा साधारण भविष्य निधि के लिए संदाय की तिथि से जब तक पुनःसंदाय नहीं किया जाता है, विहित दर पर साधारण ब्याज सहित संदाय करने के लिए हम स्वयं को और हमारे संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, उत्तरवर्तियों और समानुदेशितियों को इस बंधपत्र से आबद्ध करते हैं।

तिथि ..... को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) ..... हरियाणा सरकार का कर्मचारी अपने गुमशुदा होने के समय सरकार से वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त (ग) .....तिथि .....20.....को गुमशुदा हो गया था और उसके गुमशुदा होने के समय उसे (i) वेतन और भत्तों, (ii) छुट्टी नकदीकरण, (iii) साधारण भविष्य निधि, (iv) मृत्यु एवंसेवानिवृत्ति उपदान; और (v) अन्य शोध्यों के मद्दे ....रकम के बराबर राशि देय थी।

और आभारी .....रुपये की पारिवारिक पेंशन धन उस पर महंगाई अनुतोष का हकदार है।

और जबकि आभारी ने अभ्यावेदन किया है कि वह पूर्वोक्त राशि का/की हकदार है और उसने उसका निरर्थक विलंब और कठिनाई से बचने के लिए सरकार को उसका संदाय करने के लिए अनुरोध किया है।

और सरकार .....रुपये (शब्दों में) की उक्त राशि और पारिवारिक पेंशन धन महंगाई अनुतोष का आभारी को आभारी द्वारा और जमानती द्वारा पूर्वोक्त वर्णित राशि की सरकार को पूर्वोक्त गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के प्रति सभी दावों में रकम के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए बंधपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त राशि का संदाय करने के लिए सहमत हो गई हैं।

और आभारी और उसके अनुरोध पर जमानती इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट निबंधनों और रीति में बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अतः इस बंधपत्र की शर्त यह है कि आभारी को संदाय किए जाने के पश्चात आभारी और/या जमानती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या सरकारी कर्मचारी के उपस्थित होने पर और सरकार के विरुद्ध पूर्वोक्त .... रुपये (शब्दों में) का दावा किए जाने पर और सरकार द्वारा पूर्वोक्त राशि का संदाय किए जाने पर सरकार को उक्त .....रुपये (शब्दों में) का प्रतिदाय करेंगे और सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन के रूप में संदत्त प्रत्येक राशि का साधारण भविष्य निधि के साधारण ब्याज के समतुल्य ब्याज दर के साथ सरकार को संदाय करेंगे और अन्यथा क्षतिर्पूति करेंगे और सरकार को नुकसान नहीं कारित होने देंगे तथा पूर्वोक्त राशियों और सभी लागतों, जो उस पर किन्हीं दावों के परिणामस्वरूप उपगत होती हैं, के प्रति सभी दायित्वों की क्षतिर्पूति करेंगे, तब पूर्वोक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और लागू रहेगी।

और यह इस बात का भी साक्ष्य है कि जमानती का दायित्व सरकार की किसी प्रविरिति कार्रवाई या लोप के कारण या तत्समय कोई मंजूरी दिए जाने के कारण या सरकार द्वारा जमानती को जानकारी सहित या उसके बिना या जमानती की

सहमति से आभारी द्वारा पूरी की जाने वाली बाध्यता या शर्तों के संबंध में क्षीण या निर्मुक्त नहीं हो जाएगा या किसी अन्य विधि या क्षीणता से, चाहे कुछ भी हो, जिसे जमानतियों के संबंध में किसी विधि के अधीन इस उपबंध के कारण जमानती को ऐसे दायित्व से निर्मुक्त करने का अन्यथा कोई प्रभाव नहीं होता न ही सरकार को जमानती पर वाद चलाने का आभारी से पूर्व जमानत/जमानतियों या उनमें से किसी एक पर इसमें नीचे दी गई रकम के लिए निर्मुक्त करने का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

के साक्ष्य के रूप में इसमें आभारी और जमानती तिथि ..... को पूर्वोक्त लिखित पर हस्ताक्षर करते हैं।

पूर्वोक्त.....आभारी द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

पूर्वोक्त जमानती/जमानतियों द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

हरियाणा सरकार के लिए और उसके निमित्त स्वीकृत

.....की उपस्थिति में (हरियाणा सरकार की ओर से और उसके नामित्त बंधपत्र को स्वीकृत करने के लिए निर्देश किए गए या प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

साक्षी का नाम और हस्ताक्षरः–

1. .....

.....

2. .....

.....

टिप्पण.– आभारी के साथ–साथ जमानती बालिग होने चाहिएं जिससे बंधपत्र का विधिक प्रभाव या प्रर्वतन हो।

अनुबंध–4

(देखिए नियम 60)

नैसैर्गिक संरक्षक अभिभावक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मृतक अंशदायी के नाबालिग बालक (बालकों) को देय भविष्य निधि धनराशि की प्राप्ति के लिए क्षतिपूर्ति बन्धपत्र

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं/हम (क) आवास के स्थान (स्थानों) सहित दावेदार (दावेदारों) का पूरा नाम ..... पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... (जिसमें, इसमें, इसके बाद, 'बाध्यताकारी' कहा गया है)

ख(1) (जमानती का नाम तथा पता) ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....तथा (ख) (2) .....पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी .... (जिसे, इसमें, इसके बाद, जमानती कहा गया है) हरियाणा के राज्यपाल (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, सरकार कहा गया है) के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग अभिनिर्धारित तथा स्थायी रूप से बाध्य करता हूं/करते हैं। सरकार या उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती जिसके लिए भुगतान उचित तथा सही तौर पर किया जाना है, को भुगतान किए जाने वाले .....रुपये (केवल ..... रुपये) (शब्दों तथा अंकों में) की राशि के लिए, इन विलेखों द्वारा संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से कथित बाध्यताकारी तथा जमानती स्वयं इसके द्वारा करते हैं।

यह ..... के ..... दिन दो हजार ..... को हस्ताक्षरित किया गया।

चूंकि (ग) (मृतक का नाम) ..... उसकी मृत्यु के समय पर सामान्य भविष्य निधि का अंशदायी था तथा चूंकि कथित (ग) दो हजार ..... के .....दिन को मर गया है तथा ..... रुपये (केवल..... रुपये) (शब्दों तथा अंकों में) की राशि उसके सामान्य भविष्य निधि संचयन के मद्दे सरकार द्वारा भुगतानयोग्य है।

और चूंकि..... उक्त (ग) के नाबालिग बालक/बालकों की ओर से उक्त धन राशि (क) के उपरोक्त बाध्यताकारी दावा (दावे) है किन्तु संरक्षण प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

और चूंकि बाध्यताकारी ने (घ) अधिकारी का नाम तथा पता ..... (सम्बन्धित अधिकारी) को सन्तुष्ट कर दिया है कि वह/वे पूर्वोक्त धन राशि के लिए हकदार है/हैं तथा यह अनुचित विलम्ब तथा का कारण होगा यदि बाध्यताकारी से संरक्षण प्रमाणपत्र सम्मिलित करना अपेक्षित था। और चूंकि सरकार बाध्यताकारी को उक्त धनराशि का भुगतान करना चाहती है किन्तु सरकारी नियमों तथा आदेशों के अधीन यह आवश्यक है कि बाध्यताकारी को पहले कथित राशि का भुगतान करने से पूर्व कथित (ग) ..... (मृतक) को यथा पूर्वोक्त इस प्रकार देय राशि के सभी दावों के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए दो जमानतियों के साथ बन्धपत्र निष्पादित करना चाहिए। जैसा बाध्यताकारी तथा उसके अनुरोध पर जमानती ऐसा करने के लिए सहमत हों।

अब इस बन्धपत्र की शर्त ऐसी है कि बाध्यताकारी को भुगतान करने के बाद, यदि बाध्यताकारी या जमानती .... रुपये की पूर्वोक्त राशि के सम्बन्ध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे दावे की दशा में .... रुपये की राशि सरकार को वापस करेंगे तथा उसके किसी दावे के परिणामस्वरूप उपगत सभी लागते पूर्वोक्त राशि के सम्बन्ध में सभी दायित्वों से अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार का अहानिकर तथा क्षतिपूर्ति से ध्यान रखेंगे तब उपरोक्त लिखित बन्धपत्र या बाध्यताएं शून्य होंगी किन्तु अन्यथा वे पूर्ण बल, प्रभाव तथा शक्ति में रहेगी।

उसकी गवाही में इसके बाध्यताकारी तथा जमानती/जमानतियों तथा उसके सम्बन्धित अंशदायी उपरोक्त लिखित दिन, मास तथा वर्ष को उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर करेंगे।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरोक्त नामित ''बाध्यताकारी'' द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....
2. .....

(बाध्यताकारी के हस्ताक्षर)

उपरोक्त नामित ''जमानती/जमानतियों'' द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....
2. .....

(गवाह का नाम तथा पदनाम)

हरियाणा के राज्यपाल से तथा की ओर से स्वीकृत
की उपस्थिति में .....
निर्देशित या प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम।

हरियाणा के राज्यपाल से तथा की ओर से बंध–पत्र स्वीकार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 299 (1) की विद्यमानता में।

प्ररूप पी.एफ. संख्या–1

(देखिए नियम 9)

सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन

(तीहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	नियमित सेवा ग्रहण करने की तिथि	
5	पदनाम तथा कार्यालय पता	
6	धारित पद का स्वरूप (i) अस्थाई पद (ii) स्थाई पद	
7	प्रतिमास मूल वेतन (पे बैण्ड+ग्रेड पे + मंहगाई वेतन, यदि कोई हो, में वेतन)	
8	प्रतिमास अंशदान की दर	
9	क्या आवेदक का परिवार है या नहीं?	
10	लेखा संख्या प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा द्वारा आबंटित की जानी है।	

स्थानः ..... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....20 (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।

संख्या ..... दिनांक : .....

खाना 10 में यथा वर्णित आबंटित सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या सहित ..... को वापस किया जाता है। यह संख्या भविष्य में इससे सम्बन्धित सभी पत्राचार में उद्धृत करनी चाहिए। विधिवत् स्वीकृत नामांकन प्ररूप कार्यालय रिकार्ड के लिए भी वापस किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
प्रधान महालेखाकार, हरियाणा।

प्ररूप पी.एफ. संख्या–2

(देखिए नियम 9 एवं 14)

(तीहरी प्रति मे प्रस्तुत किया जाना है)

नामांकन प्ररूप

लेखा संख्या.....

मैं ..... इसके द्वारा नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) का/को नामांकित करता हूं जो राशि भुगतानयोग्य होती है या भुगतानयोग्य हो गई है का भुगतान नहीं किया गया है से पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में नीचे यथा सूचित निधि में मेरे लेखे में जमा, उस राशि को प्राप्त करने के लिए इन नियमों में परिभाषित मेरे परिवार के सदस्य (सदस्यों)/गैर–सदस्य है/हैं:

		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	नामांकित (नामांकितों) के नाम (नामों)			
2	नामांकित (नामांकितों) का पता			
3	अंशदायी से सम्बन्ध			
4	नामांकित (नामांकितों) की आयु			
5	प्रत्येक नामांकित का भुगतानयोग्य हिस्सा			
6	आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामांकन अमान्य होगा			
7	व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हों, का नाम, पता तथा सम्बन्ध जिसके लिए नामांकित का अधिकार अंशदायी से पहले उसके मर जाने की दशा में पारित किया जाएगा।			
8	यदि नामांकित इन नियमों के उपबन्ध के अनुसार परिवार का सदस्य नहीं है, तो कारण सूचित करें।			
9	अन्य सूचना, यदि कोई हो			

स्थान .....

दिनांक 20

अंशदायी के हस्ताक्षर

नाम बड़े अक्षरों में .....

पदनाम .....

दो गवाहों के हस्ताक्षर :

1	नाम तथा पता	हस्ताक्षर
2	नाम तथा पता	हस्ताक्षर

टिप्पण 1.– नामांकन प्ररूप तीहरी प्रति में भरा जाएगा। दो प्रतियां महालेखाकार, हरियाणा को भेजी जाएंगी जो कार्यालय रिकार्ड के लिए कार्यालयाध्यक्ष को विधिवत् स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित एक प्रति वापस करेगा।

टिप्पण 2.– बिन्दु 5 के लिए, यदि केवल एक व्यक्ति को नामांकित किया गया है, तो नामांकित के सामने ''पूर्ण'' शब्द लिखना चाहिए। यदि एक व्यक्ति से अधिक को नामंकित किया गया है, तो निधि की सम्पूर्ण राशि शामिल करने के लिए प्रत्येक नामंकित को भुगतानयोग्य हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रयोग के लिए

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... से दिनांक ..... से प्राप्त नामांकन प्रेषित किया जाता है।

दिनांक ..... 20 (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के प्रयोग के लिए

क्रमांकः ..... दिनांक : .....

श्री/श्रीमती ..... पदनाम ..... कार्यालय ..... द्वारा किया गया नामांकन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय रिकार्ड के लिए ..... (कार्यालयाध्यक्ष) को लौटाया जाता है।

(हस्ताक्षर)

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा।

प्ररूप पी.एफ. संख्या–3

(देखिए नियम 33)

सामान्य भविष्य निधि लेखे से अग्रिम के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड/वेतनमान :	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है :	
	(i) वर्ष .....(प्रति संलग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i) में वर्णित विवरणी तिथि के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i) + (ii) + तथा (iii)	रुपये
	(v) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	अपेक्षित अग्रिम की राशि :	रुपये
10	प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है :	रुपये
11	घटना/समारोह होने की तिथि :	
12	नियम जिसके अधीन अग्रिम अनुज्ञेय है :	
13	उसी प्रयोजन के लिए पहले लिए गए अग्रिम/प्रत्याहरण यदि कोई हों के पूर्ण ब्यौरे:	

क्रम संख्या	अग्रिम/प्रत्याहरण का प्रयोजन	निकासी की तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया गया
1.				
2.				
3.				

14	क्या पूर्व अग्रिम की पूर्ण वसूली कर ली गई है :	
15	यदि उपरोक्त मद 14 का उत्तर नकारात्मक है तो निम्नलिखित सूचना दें :–	

क्रम संख्या	अग्रिम का प्रयोजन	अग्रिम की राशि	निकासी का मास	वसूली के लिए किस्तों की संख्या	वसूल किया गया अग्रिम	अग्रिम का बकाया
1.						
2.						

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम (अग्रिमों) स्वीकृत किया गया था/किए गए थे, के लिए पहले अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) का उपयोग कर लिया है तथा मैंने नियम 36 के अधीन यथापेक्षित कार्यालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति जिसके लिए समारोह/शिक्षा इत्यादि अग्रिम के लिए आवेदन किया गया है, मुझ पर पूर्ण रूप से तथा एकमात्र रूप से आश्रित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है। मुझे मालूम है कि तथ्यों के किसी छिपाव या अयथार्थ विवरण के मामले में, मैं दो वर्ष की अवधि के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से कोई अग्रिम (अग्रिमों) लेने से वंचित कर दिया जाऊंगा।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 32 व 33 के अधीन आवेदित किए जा रहे अग्रिम के लिए हकदार है;

या

अंशदायी आवेदित अग्रिम के लिए हकदार नहीं है तथा निम्नलिखित आधार पर नियमों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है :–

(i)

(ii)

(iii)

दिनांक.....

(मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–4

(देखिए नियम 38/39/42/43/44)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

प्लाट/फ्लैट/मकान के अर्जन तथा/या मकान/फ्लैट के निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन या बेरोजगार या आश्रित बालकों के व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाई अर्जित या स्थापित करने हेतु सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड/वेतनमान	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है:	
	(i) वर्ष ..... (प्रति सलंग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i) में वर्णित विवरणी के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i) + (ii) + तथा (iii) :	रुपये
	(v) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	अपेक्षित प्रत्याहरण की राशि :	रुपये
10	सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण का प्रयोजन	
	(i) मकान के लिए प्लाट का अर्जन	
	(ii) निर्मित फ्लैट का अर्जन	
	(iii) निर्मित मकान का अर्जन	
	(iv) मकान का निर्माण	
	(v) स्पष्ट रूप से आवास इकाई के अर्जन के लिए वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण का पुनः भुगतान	
	(vi) मकान की मरम्मत/नवीकरण	
11	नियम जिसके अधीन प्रत्याहरण अनुज्ञेय है :	
12	उस प्रयोजन के लिए पहले लिए गए अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई हों, के पूर्ण ब्यौरे :	

	क्रम संख्या	अग्रिम/प्रत्याहरण का प्रयोजन	स्वीकृति संख्या तथा तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया गया है	निकासी की तिथि
	1.					
	2.					
	3.					
13	अर्जन का स्रोत (कृपया अभिकरण अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/सहकारी आवास समिति/खुला बाजार/कोई अन्य स्रोत) के ब्यौरे दें।					
14	व्यक्ति जिसके नाम प्लाट/मकान/फलैट (स्पष्ट स्वामित्व) स्वामित्वाधीन का सबूत/आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें।					
15	उसकी स्कीम, यदि कोई हो, के अधीन सरकार से लिए गए गृह निर्माण अग्रिम की राशि।					
16	क्या इस प्रयोजन के लिए पहले कोई प्रत्याहरण सामान्य भविष्य निधि से लिया गया है?					हां/नहीं
17	यदि उपरोक्त का उत्तर ''हां'' है, तो कृपया ब्यौरे दें :					
	(i) उसी इकाई के लिए लिया गया प्रत्याहरण					
	(ii) किसी अन्य इकाई (इकाईयों) के लिए लिया गया प्रत्याहरण					
	(iii) क्या पूर्व इकाई का निपटान हो गया है तथा उसके लिए लिया गया अग्रिम वापस लेखे में जमा करवा दिया है।					
18	यदि प्रत्याहरण पति/पत्नी के संयुक्त नाम के प्लाट के लिए आवेदित किया जा रहा है, कृपया सूचित करें सामान्य भविष्य निधि संचयन प्राप्त करने के लिए प्रथम नामांकित कौन है?					

टिप्पण.— प्लाट के क्रय, मकान के क्रय, मकान के निर्माण, परिवर्धन तथा परिवर्तन, मरम्मत के लिए, लिए गए सभी प्रत्याहरण तथा इन प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋणों का पुनः भुगतान उसी प्रयोजन के रूप में समझा जाएगा।

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) स्वीकृत किया गया था/किए गए थे, के लिए पहले अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का उपयोग कर लिया है तथा मैंने नियम 51 के अधीन यथापेक्षित कार्यालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है। मैं जानता हूं कि तथ्यों के किसी छिपाव या अयथार्थ विवरण के मामले में, मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई प्रत्याहरण लेने से वंचित कर दिया जाऊंगा।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 38/39/42/43/44 के अधीन आवेदित किए जा रहे प्रत्याहरण के लिए हकदार है;

या

अंशदायी आवेदित प्रत्याहरण के लिए हकदार नहीं है तथा निम्नलिखित आधार पर नियमों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है :–

(i)

(ii)

(iii)

दिनांक..... (मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–5

(देखिए नियम 45)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

उच्चतर शिक्षा के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड/वेतनमान :	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है :	
	(i) वर्ष .....(प्रति संलग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i)में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i)में वर्णित विवरणी के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i)+ (ii)+ तथा (iii)	रुपये
	(v) उपरोक्त (i)में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	अपेक्षित प्रत्याहरण की राशि :	रुपये
10	प्रत्याहरण किस की उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदित किया जा रहा है	पुत्र/पुत्री
11	बालक का नाम	
12	अध्ययन पाठ्यक्रम के ब्यौरे	
13	संस्था का नाम	
14	प्रवेश का सबूत	
15	प्रत्याहरण को न्यायसंगत करने के समर्थन के रूप में फीसों का साक्ष्य	
16	नियम जिसके अधीन प्रत्याहरण अनुज्ञेय है	
17	क्या कोई अग्रिम/प्रत्याहरण इस प्रयोजन के लिए पहले लिया है ? यदि हां, तो ब्यौरों सहित लिए गए प्रत्याहरण की राशि:	

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके लिए अध्ययन अग्रिम/प्रत्याहरण लिया गया है	स्वीकृति की संख्या तथा तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया गया है	निकासी की तिथि
1.					
2.					
3.					

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) स्वीकृत किया गया था/किए गए थे, के लिए पहले अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का उपयोग कर लिया है तथा मैंने नियम 51 के अधीन यथापेक्षित कार्यालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण–पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति जिसके लिए शिक्षा अग्रिम हेतु आवेदन किया गया है, मुझ पर पूर्ण रूप से तथा एकमात्र रूप से आश्रित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है। मैं जानता हूं कि तथ्यों के किसी छिपाव या अयथार्थ विवरण के मामले में, मैं पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से कोई प्रत्याहरण लेने से वंचित कर दिया जाऊंगा।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 45 के अधीन आवेदित किए जा रहे प्रत्याहरण के लिए हकदार है;

या

अंशदायी आवेदित प्रत्याहरण के लिए हकदार नहीं है तथा निम्नलिखित आधार पर नियमों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है :–

(i)

(ii)

(iii)

दिनांक :.....

(मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–6

(देखिए नियम–46)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

विवाह समारोह के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड / वेतनमान :	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है :	
	(i) वर्ष .....(प्रति संलग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i) में वर्णित विवरणी के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i) + (ii) + तथा (iii)	रुपये
	(v) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	अपेक्षित प्रत्याहरण की राशि :	रुपये
10	प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरण अपेक्षित है : स्वयं / पुत्र / पुत्री / आश्रित बहन का विवाह	रुपये
11	नियम जिसके अधीन प्रत्याहरण अनुज्ञेय है	
12	आश्रित की जन्म तिथि	
13	क्या कोई अग्रिम / प्रत्याहरण विवाह के लिए पहले लिया गया है? यदि हां, तो ब्यौरों सहित लिए गए प्रत्याहरण की राशिः	

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके विवाह के लिए अग्रिम / प्रत्याहरण लिया गया है	स्वीकृति की संख्या तथा तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया गया है
1.				
2.				
3.				

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) स्वीकृत किया गया था/किए गए थे, के लिए पहले अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का उपयोग कर लिया है तथा मैंने नियम 51 के अधीन यथापेक्षित कार्यालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण–पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति जिसके विवाह के लिए अग्रिम हेतु आवेदन किया गया है, मुझ पर पूर्ण रूप से तथा एकमात्र रूप से आश्रित है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है। मैं जानता हूं कि तथ्यों के किसी छिपाव या अयथार्थ विवरण के मामले में, मैं पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से कोई प्रत्याहरण लेने से वंचित कर दिया जाऊंगा।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 46 के अधीन आवेदित किए जा रहे प्रत्याहरण के लिए हकदार है;

या

अंशदायी आवेदित प्रत्याहरण के लिए हकदार नहीं है तथा निम्नलिखित आधार पर नियमों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है :–

(i)

(ii)

(iii)

दिनांक :.....

(मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–7

(देखिए नियम–47)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

मोटर वाहन के क्रय के लिए सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्रत्याहरण के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड/वेतनमान :	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है :	
	(i) वर्ष .....(प्रति संलग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i) में वर्णित विवरणी के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i) + (ii) + तथा (iii)	रुपये
	(v) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	प्रत्याहरण मोटर वाहन के लिए आवेदित किया जा रहा है अर्थात् मोटर कार, मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड	रुपये
10	वाहन के क्रय के लिए अपेक्षित प्रत्याहरण की राशि	रुपये
11	वाहन की लागत (प्रोफार्मा इन्वाइस संलग्न की जानी है)	रुपये
12	क्या इस प्रयोजन के लिए पहले कोई अग्रिम/प्रत्याहरण लिया गया है ? यदि हां, तो लिए गए अग्रिम/प्रत्याहरण के ब्यौरे सहित राशिः	

क्रम संख्या	वाहन जिसके लिए अग्रिम/प्रत्याहरण लिया गया है	स्वीकृति संख्या तथा तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया गया है	निकासी की तिथि
1.					
2.					
3.					

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रयोजन जिसके लिए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) स्वीकृत किया गया था/किए गए थे, के लिए पहले अपने सामान्य भविष्य निधि से लिए गए प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का उपयोग कर लिया है तथा मैंने नियम 51 के अधीन यथा अपेक्षित कार्यालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है। मुझे मालूम है कि किसी छिपाव या तथ्यों के अयथार्थ विवरण के मामले में, मैं पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे से किसी प्रत्याहरण (प्रत्यहरणों) लेने से वंचित कर दिया जाऊंगा।

दिनांक ..... आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 47 के अधीन आवेदित किए जा रहे प्रत्याहरण के लिए हकदार है; याअंशदायी आवेदित प्रत्याहरण के लिए हकदार नहीं है तथा निम्नलिखित आधार पर नियमों में ढील देने के लिए अनुरोध किया है :–

(i)

(ii)

(iii)

दिनांक :..... (मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–8

(देखिए नियम–48)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

किसी विशिष्ट प्रयोजन/कारण के बिना अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान सामान्य भविष्य निधि लेखे से 90 प्रतिशत तक प्रत्याहरण के लिए आवेदन

विभाग .....

कार्यालयाध्यक्ष का पता .....

1	अंशदायी का नाम :	
2	पदनाम :	
3	लेखा संख्या (पूर्ण) :	
4	वर्तमान पे बैण्ड/वेतनमान :	
5	वर्तमान वेतन जिसमें महंगाई वेतन, निजी वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, शामिल है :	
6	सेवा ग्रहण करने की तिथि :	
7	अधिवर्षिता की तिथि :	
8	आवेदन की तिथि को अंशदायी के जमा में बकाया निम्न अनुसार है :	
	(i) वर्ष .....(प्रति संलग्न) की अन्तिम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार अन्तशेष :	रुपये
	(ii) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद नियमित मासिक अंशदान जमा एकमुश्त अंशदान, यदि कोई हो, जोड़े :	रुपये
	(iii) उपरोक्त (i) में वर्णित विवरणी के बाद अग्रिम (अग्रिमों) की वापसी जोड़े :	रुपये
	(iv) कुल (i) + (ii) + तथा (iii)	रुपये
	(v) उपरोक्त (i) में वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद लिए गए अग्रिम (अग्रिमों) तथा प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) की राशि कम करें :	रुपये
	(vi) शुद्ध अतिशेष :	रुपये
9	अपेक्षित प्रत्याहरण की राशि :	रुपये
10	नियम जिसके अधीन प्रत्याहरण अनुज्ञेय है	

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दी गई सूचना सत्य तथा सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है या इसमें अयथार्थ विवरण नहीं दिए गए है।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

शाखा .....

(कार्यालय द्वारा जांच/सत्यापन)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय ने इस आवेदन में अंशदायी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों की जांच पड़ताल कर ली है तथा सत्यापन कर लिया है। अंशदायी द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही के रूप में सत्यापित किए गए हैं।

2. अंशदायी नियम 48 के अधीन आवेदित किए जा रहे प्रत्याहरण के लिए हकदार है;

दिनांक:.....

(मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–9

(देखिए नियम–54)

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने/ निगमित निकाय या अन्य सरकारों में स्थानान्तरण पर अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
हरियाणा, चण्डीगढ़।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्री मान जी,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि–

(क) मैं .....से सेवानिवृत्त होने वाला हूं/सेवानिवृत्त हो गया हूं ;

(ख) मैं ..... से भारमुक्त/पदच्युत किया गया हूं ;

(ग) मुझे.....से..... ..... में स्थायी रूप से स्थानान्तरित/समायोजित किया गया है ;

(घ) मैंने .....से सरकारी सेवा से अन्नतः त्यागपत्र दे दिया है ; या

(ङ) मैनें ..... में नियुक्ति लेने के लिए .... से सरकार के अधीन सेवा से त्यागपत्र दे दिया है तथा मेरा त्यागपत्र दिनांक .... दोपहर पूर्व/ दोपहर बाद से स्वीकृत कर लिया गया है।

(च) मैंने..... में ..... को दोपहर बाद/दोपहर पूर्व सेवा ग्रहण कर ली है।

2. मेरा सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या ..... है।

3. मैं अपने कार्यालय .....या ..... खज़ाना/ उप–खज़ाने के माध्यम से भुगतान लेना चाहता हूं। मेरा पहचान का निजी चिह्न बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगुली के निशान (अशिक्षित अंशदायी की दशा में) तथा नमूना हस्ताक्षर (शिक्षित अंशदायी की दशा में), दोहरी प्रति में, सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यंकित संलग्न है।

4. मेरा अनुरोध है कि नियमों के अधीन देय ब्याज सहित मेरे लेखे में जमा सम्पूर्ण राशि मुझे भुगतान की जाए/ .... में अन्तरित की जाए।

भवदीय,

दिनांक .....

(अंशदायी के हस्ताक्षर)

नाम : .....

पता : .....

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रयोग के लिए)

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है।

2. श्री/श्रीमती .....

(क) सेवानिवृत्त होना है/सेवानिवृत्त हो गया है;

(ख) .....से भारमुक्त/पदच्यूत कर दिया गया है;

(ग) .....से..... में स्थायी रूप से स्थानान्तरित/समायोजित किया गया है;

(घ) .....से सरकारी सेवा से अन्ततः त्याग–पत्र दे दिया है;

(ङ) ..... में नियुक्ति लेने के लिए ..... से सरकार के अधीन सेवा से त्यागपत्र दे दिया है तथा उसका त्यागपत्र ..... दोपहर बाद/दोपहर पूर्व से स्वीकृत कर लिया गया है।

(च) उसने .....में..... को दोपहर पूर्व/ दोपहर बाद सेवा ग्रहण कर ली है।

3. उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में अंशदान हेतु अन्तिम कटौती कार्यालय बिल संख्या..... दिनांक ..... रुपये ..... (.....रुपये) खज़ाना .....के खज़ाना वाउचर संख्या ..... में, रुपये ..... की कटौती अंशदान तथा रुपये ..... की अग्रिम की वापसी के मद्दे वसूली उसके वेतन से की जा रही थी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित अग्रिम लिए थे जिसके सम्बन्ध में ..... रुपये की .... किस्त अभी तक वसूल की जानी है तथा निधि लेखे में जमा की जानी है। उसके सेवा छोड़ने की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान उसको दिए गए अग्रिम (अग्रिमों)/प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) के ब्यौरे भी नीचे सूचित किए जाते हैं :

क्रम संख्या	अग्रिम/प्रत्याहरण की राशि	भुनाने का स्थान	बाउचर संख्या तथा तिथि
1.			
2.			
3.			

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या हरियाणा सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी संवैधानिक निकाय में नियुक्ति लेने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से सरकारी सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी अग्रिम/प्रत्याहरण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा की सहमति के बिना अब से अंशदायी को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

7. प्रमाणित किया जाता है कि अंशदायी/दावेदार ने आवेदन दिनांक ..... को प्रस्तुत किया है।

दिनांक :..... (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–10

(देखिए नियम–55)

(दोहरी प्रति प्रस्तुत की जाए)

नामांकित (नामांकितों) या किन्हीं अन्य दावेदारों जहां कोई भी नामांकन अस्तित्व में नहीं है, के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन

सेवा में

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
हरियाणा, चण्डीगढ़।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्री मान जी,

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया श्री/श्रीमती..... के भविष्य निधि लेखे में संचयन के भुगतान की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में अपेक्षित आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1	अंशदायी का नाम	
2	जन्म तिथि	
3	अंशदायी द्वारा धारित पद	
4	मृत्यु या गायब होने की तिथि	
5	मृत्यु प्रमाणपत्र के रूप में मृत्यु का सबूत (नगरपालिका प्राधिकरणों इत्यादि द्वारा जारी)	
6	गायब होने की दशा में, थाने में रिपोर्ट दायर करने की तिथि	
7	यदि अननुमार्गणीय है, तो पुलिस की रिपोर्ट की तिथि (प्रति संलग्न करें)	
8	अंशदायी की सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (पूर्ण)	
9	अंशदायी की मृत्यु के समय पर लेखे में जमा राशि, यदि ज्ञात हो।	
10	अंशदायी की मृत्यु की तिथि को जीवित नामांकितों के ब्यौरे, यदि नामांकन अस्तित्व में है :	

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अंशदायी से सम्बन्ध	नामांकित का हिस्सा	टिप्पणी
1				
2				
3				

11	यदि नामंकन परिवार के किसी सदस्य से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में है, तो परिवार के ब्यौरे, यदि अंशदायी ने बाद में परिवार उपार्जित किया है :	

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अंशदायी से सम्बन्ध	मृत्यु की तिथि को आयु	टिप्पणी
1				
2				
3				

12	यदि कोई नामांकन अस्तित्व में नहीं है, तो अंशदायी की मृत्यु की तिथि को परिवार के जीवित सदस्यों के ब्यौरे अंशदायी की मृत्यु से पूर्व अंशदायी की पुत्री या मृतक पुत्र की पुत्री की दशा में, जिनका विवाह अंशदायी की मृत्यु से पहले हो गया था, उसके नाम के सामने बताना चाहिए कि क्या उसका पति अंशदायी की मृत्यु की तिथि को जीवित था।	

13

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अंशदायी से सम्बन्ध	मृत्यु की तिथि को आयु	टिप्पणी
1				
2				
3				

14	नैसर्गिक/विधिक संरक्षक का नामः (यदि राशि नाबालिग बालक को देय है)	
15	यदि अंशदायी ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है तथा कोई भी नामांकन अस्तित्व में नहीं है, तो व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम जिसको भविष्य निधि धन–राशि भुगतानयोग्य है। इच्छा पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र इत्यादि का लगाया जाना है।	

16

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अंशदायी से सम्बन्ध	पता	टिप्पणी
1				
2				
3				

17	भुगतान ..... कार्यालय के माध्यम से ....खज़ाना/उप–खज़ाना के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साक्ष्यंकित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने हैं :– पहचान के निजी चिह्न : (i) बाएं/दाएं हाथ का अंगूठा या अंगूली निशान (अशिक्षित दावेदारों की दशा में) (ii) दोहरी प्रति में नमूना हस्ताक्षर (साक्षर दावेदारों की दशा में)	
18	कोई अन्य सूचना	

भवदीय

दिनांक .....

(दावेदार के हस्ताक्षर)

नाम : .....

पताः .....

(कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिए)

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है। उपरोक्त दिए गए ब्यौरे विधिवत सत्यापित कर लिए गए हैं।

2. श्री/श्रीमती ..... की सामान्य भविष्य निधि संख्या ..... है।

3. वह दिनांक ..... को मर गया। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गया मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)

4. मृतक अंशदायी के सामान्य भविष्य निधि लेखे के लिए अन्तिम कटौती इस कार्यालय के बिल संख्या ....., दिनांक ..... रुपये .....(..... रुपये) खज़ाना चालान संख्या ..... दिनांक ..... खज़ाना ..... में खज़ाना वाउचर संख्या .....दिनांक ..... द्वारा प्राप्त मास ..... के लिए, ...रुपये की कटौती की राशि अंशदान तथा ..... रुपये अग्रिम की वापसी के मद्दे वसूली उसके वेतन से की गई थी।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित अग्रिम लिए थे जिसके सम्बन्ध में ..... रुपये की ..... किस्त अभी तक वसूल तथा सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा की जानी है। उसकी मृत्यु की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान उसको दिए गए प्रत्याहरणों के ब्यौरे भी नीचे सूचित किए जाते हैं :

क्रम संख्या	अग्रिम/प्रत्याहरण की राशि	भुनाने का स्थान	वाउचर संख्या तथा तिथि
1.			
2.			
3.			
4.			

6. प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार ने आवेदन दिनांक ..... मास .....वर्ष को प्रस्तुत किया है।

दिनांक :..... (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–11

(देखिए नियम 35)

अग्रिम के लिए स्वीकृति आदेश

हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियम, 2016 के नियम ..... के अधीन श्री/श्रीमती .... को ..... के मद्दे प्रभारों को चुकाने के लिए उसको समर्थ बनाने हेतु उसके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या .....से.....रुपये (..... .....रुपये) के अग्रिम के लिए इसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अग्रिम प्राप्ति मास ..... के आगामी उत्तरवर्ती मास के वेतन से प्रारम्भ ....रुपये प्रत्येक की ..... मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा।

3. स्वीकृति की तिथि को श्री/श्रीमती ..... के जमा में बकाया के विवरण नीचे दिए गए है :

(i)	वर्ष ..... की सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार	रुपये
(ii)	पश्चातवर्ती जमा	रुपये
(iii)	खाना (i) तथा (ii) का जोड़	रुपये
(iv)	पश्चातवर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई हो	रुपये
(v)	स्वीकृति की तिथि को बकाया [खाना (iii) घटा (iv)]	रुपये

दिनांकः .....

हस्ताक्षर .....

कार्यालयाध्यक्ष का नाम तथा पदनाम .....

पृष्ठांकन संख्या :

दिनांक :

प्रति निम्नलिखित को :

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ तथा अंशदायी के बही लेखे में नोट करने के लिए अग्रेषित की जाती है।

2. श्री/श्रीमती ..... को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशन सहित अग्रेषित की जाती है कि सामान्य भविष्य निधि लेखे से प्राप्त अग्रिम की राशि निकासी की तिथि से एक मास में प्रयोजन जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, के लिए प्रयुक्त की गई है।

3. खज़ाना अधिकारी .....

दिनांक : .....

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम तथा पदनाम)

प्ररूप पी.एफ. संख्या–12

(देखिए नियम 49)

प्रत्याहरण के लिए स्वीकृति आदेश

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016 के नियम ..... के अधीन श्री/श्रीमती ..... (यहां नाम तथा पदनाम दर्ज करें) को .....के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए उसको समर्थ बनाने हेतु उसकी सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या ..... से .....रुपये (..... रुपये) की राशि के प्रत्याहरण के लिए इसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रत्याहरण की राशि इस प्रत्याहरण से सम्बन्धित शर्तों में यथा विहित सीमा में है।

3. स्वीकृति की तिथि को श्री/श्रीमती..... के लेखे में जमा बकाया के विवरण नीचे दिए गए हैः

(i)	वर्ष ..... के लिए सामान्य भविष्य निधि विवरणी के अनुसार बकाया	रुपये
(ii)	पश्चातवर्ती जमा	रुपये
(iii)	खाना (i) तथा (ii) का जोड़	रुपये
(iv)	पश्चातवर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई हो	रुपये
(v)	स्वीकृति की तिथि को बकाया [खाना (iii) घटा (iv)]	रुपये

दिनांकः..... हस्ताक्षर .....

मंजूरी प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम .....

पृष्ठांकन संख्या : दिनांक :

प्रति निम्नलिखित को :

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ तथा अंशदायी के बही लेखे में नोट करने हेतु अग्रेषित की जाती है।
2. श्री/श्रीमती ..... को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशन सहित अग्रेषित की जाती है कि प्रत्याहरण राशि प्राप्ति की तिथि से एक/दो/छः मास में प्रयोजन जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, के लिए प्रयुक्त की गई है।
3. कार्यालयाध्यक्ष .....
4. खज़ाना अधिकारी .....

दिनांकः..... हस्ताक्षर .....

मंजूरी प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम .....

प्ररूप पी.एफ. संख्या–13

(देखिए नियम 53)

त्रैमासिक विवरणी

दिनांक ..... से ..... तक की तिमाही के दौरान स्वीकृत अग्रिमों तथा प्रत्याहरणों की त्रैमासिक विवरणी

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने विभागाध्यक्ष को भेजी जानी है)

क्रम संख्या	अंशदायी का नाम तथा पदनाम	कार्यालय पता	सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (पूर्ण)	क्या अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत किया गया है	प्रयोजन जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था	राशि	स्वीकृति संख्या तथा तिथि	टिप्पणी
1								
2								
3								
4								
5								
6								
8								
9								
10								

दिनांक :.....

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्ररूप पी.एफ. संख्या–14

(देखिए नियम 53)

त्रैमासिक विवरणी

दिनांक ..... से ..... तक की तिमाही के दौरान स्वीकृत अग्रिमों तथा प्रत्याहरणों की त्रैमासिक विवरणी

(विभागाध्यक्ष द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हरियाणा को भेजी जानी है)

क्रम संख्या	अंशदायी का नाम तथा पदनाम	कार्यालय पता	सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (पूर्ण)	क्या अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत किया गया है	प्रयोजन जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था	राशि	स्वीकृति संख्या तथा तिथि	टिप्पणी
1								
2								
3								
4								
5								
6								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

दिनांक :.....

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।